



कृषि विभाग

कृषि रोड मैप

6. कृषि यांत्रिकरण (कार्यान्वयन अनुदेश)

वर्ष 2011-2012



नरेन्द्र सिंह

Narendra Singh



बिहार सरकार

मंत्री

कृषि विभाग,
बिहार सरकार, पटना

Minister

Deptt. of Agriculture
Govt. of Bihar, Patna
Office : 2nd Floor, Vikas Bhawan
Bailey Road, Patna (Bihar)
Ph : 0612 – 2231212 (O)
Fax : 0612 – 2215526 (O)
Mob. : 9431821904, 9431818702



संदेश

कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिकीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। यांत्रिकीकरण से कृषि कार्य में लगने वाले समय, अर्थ एवं श्रम की बचत होती है।

राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान प्रदान करती है। यांत्रिकीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2011-12 तैयार किया गया है। अनुदेश पुस्तिका विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं कृषकों के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करेगा।

मुझे आशा है कि अनुदान प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु तैयार की गई अनुदेश पुस्तिका कृषकों एवं विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ।

ह0

(नरेन्द्र सिंह)

कृषि मंत्री,
बिहार, सरकार।

अशोक कुमार सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार



कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना-800015
दूरभाष : 0612-2224365 (का.)
0612-2215720 (का.)



संदेश

कृषि के आधुनिकीकरण में कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के साथ ही यह आवश्यक है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का यंत्र उचित दाम पर उपलब्ध हो। विभाग का यह दायित्व है कि अनुदान के कारण कृषि यंत्रों के मूल्य में कृत्रिम बढ़ोतरी नहीं हो। कृषि यंत्रों पर अनुदान वितरण में पारदर्शिता आवश्यक है। पारदर्शिता हेतु यंत्रों तथा इस पर दिये जाने वाले अनुदान का वितरण मेला के माध्यम से ही किया जाय। किसानों को अपनी पसंद के विक्रेता से यंत्र क्रय करने की छूट दी जाय। यथासंभव अनुदान की राशि विक्रेता के माध्यम से न देकर सीधे किसान को दी जाय।

राज्य सरकार के द्वारा पावर टीलर/ट्रैक्टर में बैंक ऋण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इससे विभागीय पदाधिकारियों की जिम्मेवारी ओर बढ़ जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि सही किसानों के अनुदान का लाभ मिल रहा है।

इस वर्ष किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी यंत्रों जैसे कि सब स्वायलर, पोस्ट होल डीगर, स्ट्रारीपर आदि को कृषि यांत्रिकीकरण योजना में शामिल किया गया है। इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है। गत वर्ष कृषि यंत्रों के लिए जिन किसानों को अनुदान का लाभ दिया गया है उनकी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था। इसका अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित कराया जाए।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2011-12 तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण साबित होगा।

ह0
(अशोक कुमार सिन्हा)

कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

डा० एन० विजयलक्ष्मी,

भा० प्र० से०
सचिव, कृषि
बिहार, सरकार।



बिहार सरकार

बिहार सरकार
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना-15
Govt of Bihar
Deptt. of Agriculture,
Vikash Bhawan, Patna-15

अनुदेश

कृषि के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं यथा—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/मैक्रोमैनेजमेंट/आइसोपोम योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण की योजना को शामिल किया गया है। जिसमें आधुनिक एवं अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषकों को बड़े/मध्यम/छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

किसानों की मांग एवं इसकी आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष ट्रैक्टर पर अनुदान की राशि 45,000 हजार रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। आशा है कि किसान इससे और अधिक लाभ उठा सकेंगे।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश, 2011-12 तैयार किया गया है। कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है।

आशा है आप इससे लाभ उठाएँगे।

ह०
(डा० एन० विजयलक्ष्मी)
सचिव, कृषि।

अरविन्दर सिंह, (भा.व.से.)

कृषि निदेशक—सह—मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
बिहार, पटना



बिहार सरकार

कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना—800015
दुरभाष : 0612—2223890 (का.)
फैक्स : 0612—2204245
ई—मेल : diragri-bih@nic.in

आमुख

मैक्रोमैनेजमेंट/आइसोपोम/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण की योजना शामिल है। जिसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाना है। कृषि के आधुनिकीकरण में कृषि यांत्रिकीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है।

कृषि कार्य में यंत्रों के उपयोग की महत्ता को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000—2001 से कृषि यांत्रिकीकरण योजना लागू की गई है, जिसके प्रति कृषकों की प्रतिक्रिया उत्साहबर्धक रही है।

यह योजना निम्नांकित उद्देश्यों के साथ कार्यरत रहेगी।

1. उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
2. समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
3. फसल योजना का समय पर सम्पादन
4. समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन

किसानों की मांग एवं इसकी आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न योजनाओं में कृषि यांत्रिकीकरण को शामिल किया गया है तथा इसमें छोटे/मध्यम/बड़े सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है ताकि सभी श्रेणी के कृषक इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा इसके उपयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ किसान अपने आय में वृद्धि एवं समय तथा श्रम की बचत कर पाएँगे।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2011—12 तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि कार्यान्वयन अनुदेश 2011—12 का अनुपालन जिला/प्रखंड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायगा। इस हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुझे उम्मीद है आप इससे लाभ उठाएँगे।

ह0

(अरविन्दर सिंह)

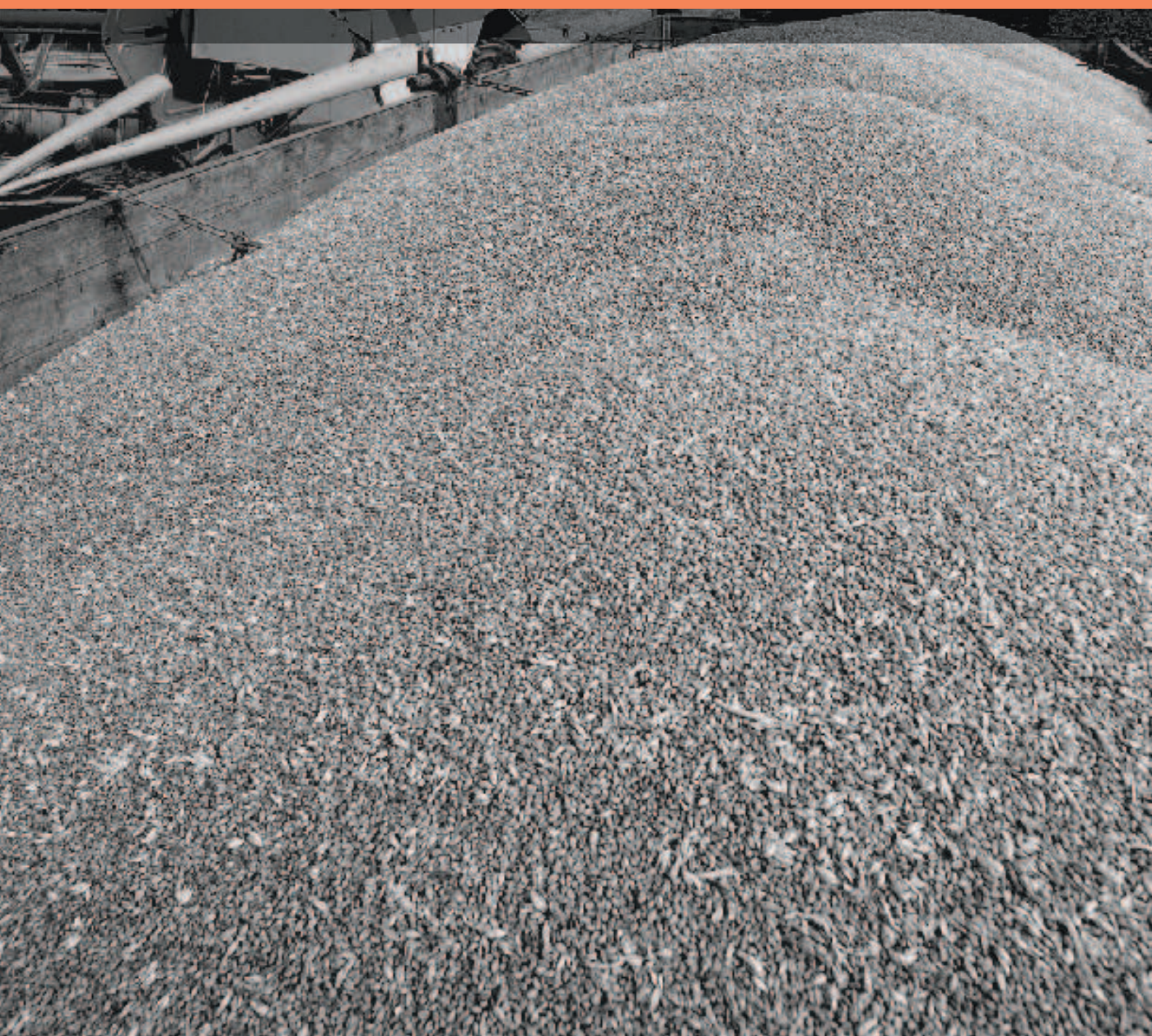
कृषि निदेशक, बिहार पटना।

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि	1-2
2	कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2011-12 के लिए क्रियान्वयन अनुदेश	3-10
3	विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के लिए विभिन्न मदों का योजनावार/जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
	(i) मैक्रोमैनेजमेंट योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के विभिन्न मदों का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	11
	(ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के विभिन्न मदों का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	12-16
	(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत विभिन्न मदों का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	17-18
	(iv) आइसोपोम योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के विभिन्न मदों का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	19-21
4	आवेदन पत्र का प्रपत्र	22
	i कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु लाभुकों द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रपत्र	22
	ii आवेदन का प्राप्ति रसीद पत्र	23
	iii कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत का जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र	24
	iv अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र का प्रपत्र	25
	v अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन संबंधित विहित प्रपत्र	26
	vi बैंक शाखा द्वारा कृषि यंत्रों का ऋण स्वीकृति/वितरण संबंधी प्रतिवेदन	27
	vii कृषि यंत्र आपूर्तिकर्ता/निर्माणकर्ता के लिए कैश मेमो का प्रारूप	28
	viii समेकित विपत्र का प्रारूप	29
5	ट्रैक्टर की सूची	30-36
6	पावर टीलर की सूची	37-40
7	कम्बाईन हार्वेस्टर की सूची	41-48
8	कृषकों की सूची हेतु प्रपत्र	
	i लाभान्वित कृषकों की सूची भेजने संबंधी प्रपत्र	49
	ii मासिक प्रगति प्रतिवेदन मैक्रोमैनेजमेंट कृषि यांत्रिकीकरण का विहित प्रपत्र	50
	iii कृषि यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु प्रपत्र	52
	iv कृषि यांत्रिकीकरण का अनुश्रवण प्रपत्र	52-53
	v कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र/परिपत्र	54-70

अध्याय-1

विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि



कृषि यांत्रिकीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि :

मैक्रोमैनेजमेंट

क्र० सं०	यंत्र का नाम	अनुदान दर केन्द्रांश	अनुदान दर राज्यांश	कुल
1	ट्रैक्टर	25% अधिकतम, 40,500 रु०	अधिकतम 19,500 रु०	50% अधिकतम 60,000 रु०

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

क्र० सं०	यंत्र का नाम	अनुदान दर आर.के.भी.वाई	अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना	कुल
1	पावर टीलर	40%, अधिकतम 45,000	अधिकतम 15,000	50% अधिकतम 60,000
2	लेजर लैंड लेवलर	25%, अधिकतम 40,000	अधिकतम 2,10,000	50% अधिकतम 2,50,000
3	सब सॉयलर	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
4	रोटावेटर	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
5	ट्रैक्टर चालित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ	25% अधिकतम 10,000	25% अधिकतम 10,000	50% अधिकतम 20,000
6	कल्टीवेटर	25% अधिकतम 10,000	25% अधिकतम 10,000	50% अधिकतम 20,000
7	डिस्क हैरो	25% अधिकतम 10,000	25% अधिकतम 10,000	50% अधिकतम 20,000
8	रेज्डबेड प्लांटर	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
9	जिरोटिलेज	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
10	सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
11	हैपी सीडर	40% अधिकतम 20,000	40% अधिकतम 20,000	80% अधिकतम 40,000
12	पैडी ट्रांसप्लांटर (सेल्फ प्रोपेल्ड)	25% अधिकतम 40,000	25% अधिकतम 40,000	50% अधिकतम 80,000
13	डिवलर	25% अधिकतम 1,000	25% अधिकतम 1,000	50% अधिकतम 2,000
14	पोटैटो डीगर	25% अधिकतम 15,000	25% अधिकतम 15,000	50% अधिकतम 30,000
15	पोटैटो प्लांटर	25% अधिकतम 15,000	25% अधिकतम 15,000	50% अधिकतम 30,000
16	पोस्ट होल डीगर	25% अधिकतम 20,000	25% अधिकतम 20,000	50% अधिकतम 40,000
17	पावर वीडर	25% अधिकतम 15,000	25% अधिकतम 15,000	50% अधिकतम 30,000
18	कोनोवीडर	50% अधिकतम 800		50% अधिकतम 800
19	मार्कर	25% अधिकतम 250	25% अधिकतम 250	50% अधिकतम 500
20	राईस मिल(मिनी)/ दाल मिल/ऑयल एक्सपेलर	25% अधिकतम 15,000	25% अधिकतम 15,000	50% अधिकतम 30,000
21	स्प्रेयर/डस्टर	25% अधिकतम 800	25% अधिकतम 800	50% अधिकतम 1600

22	पम्प सेट	50%अधिकतम 10,000		50%अधिकतम 10,000
23	सिंचाई पाइप	50%अधिकतम 15,000		50%अधिकतम 15,000
24	रिपर/स्ट्रा रिपर (सेल्फ प्रोपेल्ड)	25%अधिकतम 40,000	25%अधिकतम 40,000	50%अधिकतम 80,000
25	पावर थ्रेसर	25%अधिकतम 12,000	25%अधिकतम 12,000	50%अधिकतम 24,000
26	मेज सेलर	25%अधिकतम 12,000	25%अधिकतम 12,000	50%अधिकतम 24,000
27	कम्बाईन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड/ट्रैक्टर ऑपरेटेड)	25%अधिकतम 1,50,000	25%अधिकतम 3,50,000	50%अधिकतम 500000
28	चॉफ कटर	25%अधिकतम 2,000	25%अधिकतम 2,000	50%अधिकतम 4,000
29	हाइड्रोलिक ट्रैलर	40%अधिकतम 20,000	40%अधिकतम 20,000	80%अधिकतम 40,000

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

क्र० सं०	यंत्र का नाम	अनुदान दर केन्द्रांश	अतिरिक्त अनुदान राज्यांश	कुल अनुदान राशि
1	मार्कर	50 प्रतिशत अधिकतम 500		50 %,अधिकतम 500
2	कोनोवीडर	50%, अधिकतम 800		50%, अधिकतम 800
3	स्प्रेयर	50%,अधिकतम 1600		50%, अधिकतम 1600
4	सीड डील	50% अधिकतम 15,000	अधिकतम 25000	80%, अधिकतम 40000
5	जीरोटीलेज	15% अधिकतम 15,000	अधिकतम 25000	80%, अधिकतम 40000
6	रोटावेटर	50% अधिकतम 30,000	अधिकतम 10000	80%, अधिकतम 40000
7	पावर वीडर	50% अधिकतम 15,000	अधिकतम 15000	50%, अधिकतम 30000
8	मल्टीक्रॉप प्लांटर	50% अधिकतम 15,000	अधिकतम 25000	80%, अधिकतम 40000
9	लेजर लैंड लेबलर	50% अधिकतम 1,50,000	अधिकतम 100000	50%,अधिकतम 250000
10	पम्प सेट	50% अधिकतम 10,000		50%, अधिकतम 10000
11	सिंचाई पाइप	50% अधिकतम 15,000		50%, अधिकतम 15000
12	जिरोटिल-कम- फर्टिलाइजर डील	50% अधिकतम 15,000	अधिकतम 25000	80% अधिकतम 40,000

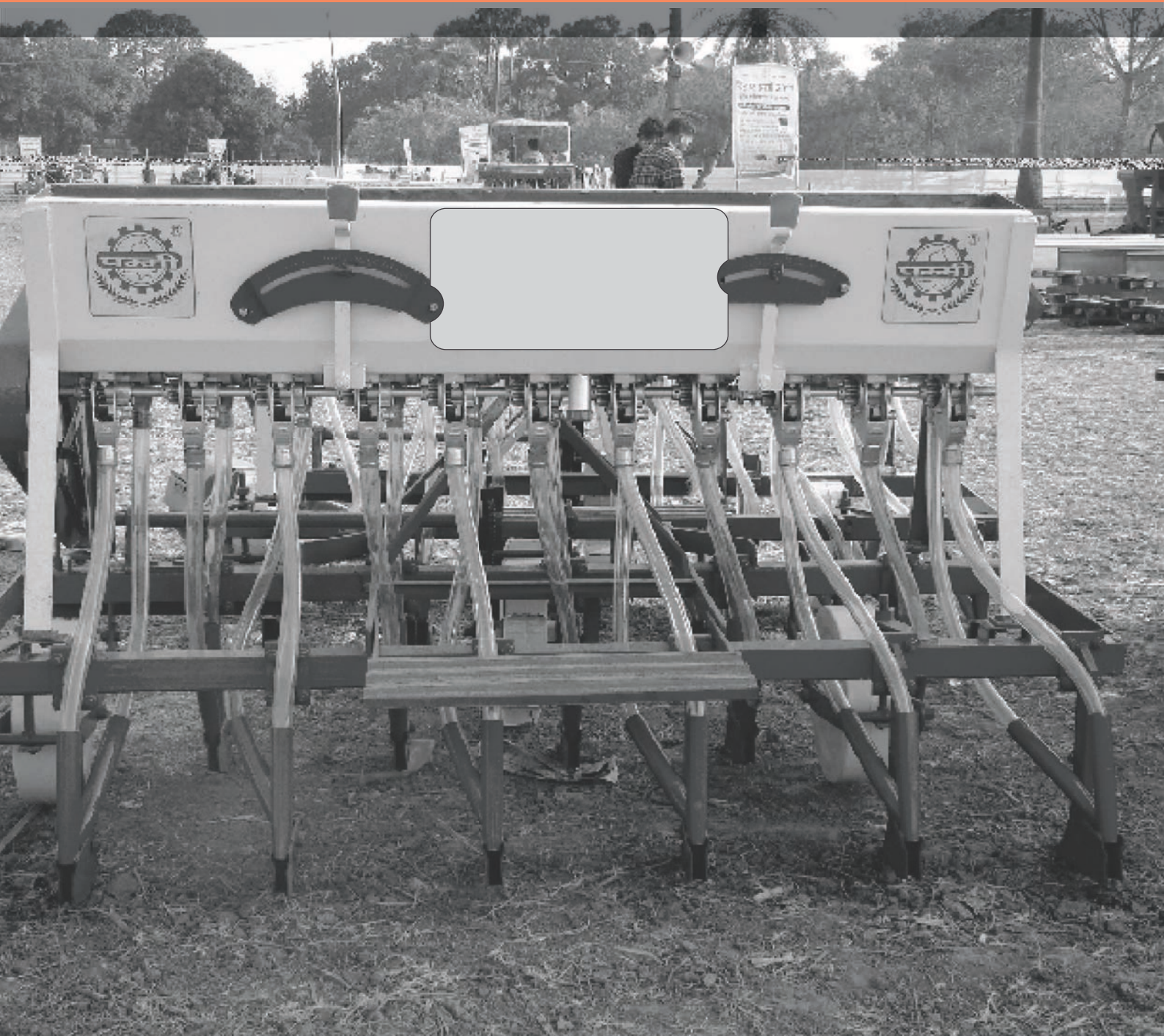
आइसोपोम योजना

क्र०सं०	यंत्र का नाम	अनुदान दर केन्द्रांश	अनुदान दर राज्यांश	कुल अनुदान राशि
1	पौधा संरक्षण यंत्र			
क	मानव चालित	600 रु०	1000 रुपया	50 प्रतिशत अधिकतम 1600 रुपया
2	सिंचाई पाइप 800मी०/यूनिट	15,000 रु०	—	50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपया

अध्याय-2

कृषि यांत्रिकीकरण योजना

2011-12 के लिये कार्यान्वयन अनुदेश



कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2011-12 के लिये कार्यान्वयन अनुदेश

1. यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू होगी। कृषि यांत्रिकीकरण मैक्रोमैनेजमेंट, आईसोपोम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल है। इन योजनाओं के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर टीलर, लेजर लैंड लेभलर, सब सॉयलर, रोटावेटर, ट्रैक्टर चालित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रेज्डबेड प्लान्टर, जिरोटिलेज, सीड ड्रील, सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रील, हैपी सीडर/क्रॉप प्लांतर/पैडी ट्रान्सप्लान्टर/डिवलर/पोटैटोडीगर/पोटैटो प्लान्टर/पोस्ट होल डीगर/पावर वीडर/कोनोवीडर/मार्कर/राइस मिल/दाल मिल/ऑयल एक्सपेलर/स्प्रेयर/डस्टर/पौधा संरक्षण यंत्र/पम्पसेट/सिंचाई पाईप/शैलो ट्यूबवेल्स/रिपर/पावर थ्रेसर/मेज सेलर/कम्बाईन हार्वेस्टर/चॉफ कटर/हाइड्रोलिक ट्रेलर/सीड ट्रिटिंग ड्रम/मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र/शक्ति चालित पौधा संरक्षण यंत्र कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना के नोडल पदाधिकारी श्री आदित्य नारायण राय, उप कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना होंगे। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/एफ0एम0टी0एण्डटी0आई0/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर द्वारा सत्यापित मानक कृषि यंत्रों के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/बिक्रेताओं को ही सूचीबद्ध करते हुए उसकी अद्यतन सूची सभी जिला कृषि पदाधिकारियों/संयुक्त कृषि निदेशकों को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिले के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप ही इसे कृषि योग्य भूमि के आधार पूर्व की तरह विखंडित करते हुये प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण करेंगे एवं इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अध्यक्ष, जिला परिषद/प्रखंड विकास पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/सांसद/विधायक/पंचायत प्रमुख/नगर निकाय एवं पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ को देंगे। बैंक लिंकड कृषि यंत्रों के लक्ष्य को भी प्रखंडवार विखंडित कर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/लीड बैंक पदाधिकारी/नाबार्ड/जिला सहकारिता पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

कृषकों के चयन के लिए शर्त :-

- कृषक इच्छुक/प्रगतिशील हों।
- अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन-जाति के 1 प्रतिशत कृषक समुदाय का चयन किया जाएगा।
- लघु/सीमान्त/महिला कृषकों को 33 प्रतिशत चयन किया जाएगा, जिससे कुल कर्णांकित राशि का 33 प्रतिशत राशि का उपयोग संबंधित श्रेणी के कृषकों के लिए हो सके।
- जिन कृषकों को पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है, उन्हें उस यंत्र के लिए पुनः चयनित नहीं किया जाएगा (छोटे/पशु चालित कृषि यंत्र एवं एक दूसरे के पूरक कृषि यंत्र को छोड़ कर)।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था/नगर निकाय के प्रतिनिधि की सहभागिता आवश्यक है। अर्थात् त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था/नगर निकाय के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/नगर निकाय सदस्य/पंचायत प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य आदि) से अनुशंसा प्राप्त हो।
- विषयवस्तु विशेषज्ञ/कृषि प्रसार कार्यकर्ता/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अन्य कृषि तकनीकी पदाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त हो।

- कृषकों का चयन पूर्व की तरह “पहले आओ—पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।
 - कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - कृषक के साथ-साथ कृषक के स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह/किसानों की सहकारी समिति आदि को भी योजना का लाभ मिलेगा।
 - 15 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर के लिए लाभान्वित कृषकों को कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।
 - 15 अश्व शक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिए लाभान्वित कृषक को कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन हो।
 - पावर टीलर के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।
 - कम्बाईन हार्वेस्टर के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन हो।
 - पम्पसेट के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 1/2(आधा) एकड़ जमीन हो।
 - छोटे कृषि यंत्रों के संबंध में जमीन संबंधी कागजात की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/कर्मचारी से पहचान अवश्य कराया जायगा। सहायक कृषि यंत्र प्राप्ति के लिए मुख्य कृषि यंत्र लाभार्थी के पास होना अनिवार्य होगा।
- 2. आवेदन की प्राप्ति :-** जिला कृषि पदाधिकारी कृषि यांत्रिकीकरण की सभी योजनाओं का लक्ष्य समेकित करेंगे तथा इस समेकित लक्ष्य से 150 प्रतिशत अधिक आवेदन प्रत्येक कृषि यंत्र का किसानों से प्राप्त किया जायगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मियों के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। किसानों से किसान मेला एवं विशेष कैम्प यथा कृषि विकास उत्सव आदि में भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा आवेदक किसान को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। जिस पर आवेदन का क्रमांक, दिनांक एवं कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम/पद नाम एवं हस्ताक्षर अंकित होगा। संबंधित कर्मियों के द्वारा एक सत्यापित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। जिला कृषि कार्यालय में एक समेकित रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराया जायेगा तथा इसे विषय वस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए ताकि कृषक को आवेदन उपलब्ध हो सके।
- 3. आवेदन की जाँच :-** आवेदन की जाँच विषय वस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 15 दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास के ग्राम में जाकर स्थल पर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवश्यकता है या नहीं तथा मांग किया गया यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध हुआ है या नहीं। यह सुनिश्चित किया जायगा कि कृषि यंत्र के प्राप्त आवेदन की जाँच शत-प्रतिशत हो गई है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जाँच के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह में की जायगी। अतः अद्यतन स्थिति पर प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को संयुक्त कृषि निदेशक/ई-मेल के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार को संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 4. बैंक आधारित कृषि यंत्र :-** बैंक लिंकड कम्बाईन हार्वेस्टर/अन्य से संबंधित प्राप्त आवेदन को भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर जाँचकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रसारण पत्र के साथ भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसे भी पंजी में यंत्रवार विधिवत संधारित कराएँगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक में कितने आवेदन किस यंत्र के भेजे गए हैं। बैंक में भेजे गए आवेदन की स्वीकृति जिन बैंकों द्वारा नहीं की जाती है, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स की बैठक/टास्क फोर्स की बैठक/विशेष बैठक आयोजित कराकर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा जायगा ताकि इसकी समीक्षा हो सके तथा लंबित आवेदन की स्वीकृति हो सके। जिन बैंकों द्वारा स्वीकृति की दिशा में रुची नहीं लिया जाता है प्रत्येक माह को कृषि निदेशालय को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन में इससे संबंधित प्रतिवेदन भेजा जायगा, जिसमें अंकित रहे कि बैंक का नाम, लंबित आवेदन की सं०, कितने अवधि से लंबित, कृषि यंत्रवार विवरणी ताकि राज्य स्तर पर आयोजित बैंकर्स की बैठक में इसे रखा जा सके तथा इसका निराकरण कराया जा सके।
- इच्छुक किसान द्वारा यदि स्वयं सीधे संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर का आवेदन दिया जाता है, तो वैसे आवेदन भी मान्य होंगे, परन्तु बैंक द्वारा जमीन/अन्य की सूचना की सत्यता की जांच हेतु आवेदन पत्र प्रखंड को लौटाया जाता है तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी/समक्ष तकनीकी पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंजी में संधारित कर ही बैंक को लौटाया जाएगा ताकि यह स्पष्ट रहे कि संबंधित बैंक को कितने आवेदन किस तिथि को भेजे गए हैं एवं इसका अनुश्रवण भी किया जायेगा।
 - शाखा प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन को 15 दिनों के अन्दर स्वीकृत करते हुए विशेष दूत से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। जिसे वे अपने यहाँ रक्षी संचिका में क्रमवार संधारित करेंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि को आधार मानकर जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान की राशि स्वीकृत करेंगे।
- 1. आवेदन की स्वीकृति :-** ऐसे सभी आवेदनों जो जाँच में अनुदान के लिये उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। इस स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। जिला कृषि पदा० द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत पर ही आवेदन स्वीकृत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिले के लक्ष्य अनुसार स्वीकृत आवेदन पत्र का अनुदान भुगतान के बाद शेष स्वीकृत आवेदन पत्र को अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राथमिकता के आधार पर अनुदान भुगतान किया जायेगा। इस हेतु पंजी का विधिवत संधारण किया जाना है।
- 2. अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :-** योजना के लिए पात्र किसान स्वीकृति पत्र के आलोक में किसान मेला (जो सामान्यतः प्रत्येक माह आयोजित होंगे) में किसी भी प्रतिष्ठान से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसानों को अपनी इच्छा से किसी भी कंपनी का कृषि यंत्र किसी भी विक्रेता से क्रय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय-विक्रय मात्र किसान मेला में किया जायेगा। किसान मेला में भागीदारी के लिये सभी कंपनियों/डीलरों (विक्रेताओं) को आमंत्रित किया जायेगा। चूँकि अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की बिक्री के लिये किसान मेला की अनिवार्यता की गयी है, अतः यह सम्यक होगा कि ऐसे सभी मामले जो माह भर में प्राप्त हों उनका जाँच अगले माह के किसान मेला के आयोजन से पूर्व कर लिया जाय तथा प्रत्येक किसान जो अनुदान की पात्रता रखते हैं उन्हें स्वीकृति पत्र मेला तिथि के पूर्व निर्गत कर दिया जाय तथा उन्हें मेला की

तिथि के पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा। जो आवेदन मेला में प्राप्त हों उनकी जाँच अगले मेला से पूर्व कर लिया जाय तथा अगले मेला में कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाय। मेला में क्रय किये गये कृषि यंत्रों के सत्यापन के लिये मेला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा समतुल्य पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कृषि यंत्र के बिक्री संबंधी कैशमेमो पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। विक्रेता एजेंसी/किसान इसी कैशमेमो के आधार पर अनुदान का दावा जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। कैशमेमो में कृषि यंत्र का मेक/मॉडल तथा इंजन संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

3. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :- किसानों के पास अनुदान के लाभ के लिये तीन विकल्प होंगे:-

- (i) किसानों के द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर यंत्र का क्रय करने पर किसान के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
- (ii) किसानों के द्वारा अनुदानित दर पर यंत्र का क्रय करने पर एकाउन्ट पेयी चेक से विक्रेता को अनुदान की राशि विमुक्त की जायेगी।
- (iii) बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदने वाले सभी किसानों के लिए उनके सत्यापित बैंक खाते में अनुदान की राशि एकाउन्ट पेयी चेक से जमा की जायेगी एवं यह चेक संबंधित बैंक शाखा (जिससे ऋण लेकर किसान के द्वारा कृषि यंत्र खरीदा गया है) को किसान के खाते में जमा करने हेतु भेजा जायेगा।

ऐसे सभी विकल्पों के संबंध में किसान की ईच्छा आवेदन पत्र में प्राप्त की जायेगी।

4. अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :- अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त समतुल्य पदाधिकारी के द्वारा किसान के घर जाकर किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैशमेमो पर उल्लेखित इंजन संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। परन्तु इस प्रकार की सत्यापन प्रक्रिया के कारण अनुदान का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा। अनुदान का भुगतान मेला के बाद यथाशीघ्र किया जायेगा तथा किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन क्रय के दो माह बाद एवं छः माह के अंदर पूरा किया जायेगा।

5. कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र :- कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

6. पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन :- प्रमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये गये 10,000 रु0 और 10,000 रु0 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्र का 15 प्रतिशत अधिकतम 80 प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, जिला में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्र का 30 प्रतिशत अधिकतम 80 जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 प्रतिशत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित कृषि अभियंता द्वारा जिले में वितरित कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 कृषि यंत्र कृषि अभियंता द्वारा किसानों के घर पर जाकर भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी।

7. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :- भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

8. अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रों का लेखा संधारण योजनावार किया जाय। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस योजना के विरुद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जाय तथा योजनावार केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात के अनुरूप ही अनुदान राशि व्यय किया जायगा। जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि एक ही आवेदन को एक से अधिक योजनाओं में किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जाय।

9. अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विशिष्टता :-

- ट्रैक्टर/पावर टीलर के संबंध में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुमोदित मेक/मॉडल पर ही अनुदान देय होगा।
- कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफ0एम0टी0एण्डटी0आई0) से जांच किया होना चाहिए।
- ट्रैक्टर के संबंध में 40 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में 55 से 125 अश्वशक्ति तक के कम्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान देय होगा। भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-1/2004 मशीनरी (आई0एण्डपी0) दिनांक 14.09.2010 के आलोक में कृषि निदेशालय के पत्र संख्या 5067 दिनांक 08.10.10 से यंत्रों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार कर भेजा गया है, जिसके आलोक में संबंधित कृषि यंत्र के लिए संबंधित संस्थान से प्रमाण पत्र की उपलब्धता पर कृषि यंत्रों पर अनुदान देय होगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। इसके अलावा भारत सरकार कृषि मंत्रालय से गुणवत्ता संबंधी अद्यतन निर्गत मार्ग निर्देश की प्रति समय-समय पर उपलब्ध करायी जायगी। तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जायगा। (पत्र संलग्न)

10. **यंत्रों की उपलब्धता :-** संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण बिहार, पटना राज्य स्तर पर कृषि यंत्र से जुड़े निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की बैठक 15-15 दिनों पर कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में कराने हेतु कृषि निदेशक, बिहार को प्रस्ताव देकर अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा बैठक की तिथि की सूचना संबंधित सभी निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/बिक्रीकर्ताओं को विशेष दूत से देंगे।

11. **प्रचार-प्रसार :-** इस योजना के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार प्रत्येक माह में दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा।

क. जिला स्तर पर भी इस योजना के संबंध में किसानों को जानकारी के लिए फ्लैक्सी बोर्ड बनाकर जिला के मुख्य भवनों यथा जिला समाहरणालय/जिला कृषि कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर हार्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा कृषि यंत्रों पर दी जानेवाली अनुदान राशि को फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित कर प्रचार-प्रसार कराया जायगा।

ख. जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालय/कृषि विकास शिविर स्थल पर/पंचायत मुख्यालय में भी फ्लैक्सी बोर्ड लगाकर इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर पावर टीलर पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि एवं कृषि यंत्रों की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला के प्रखंडवार लक्ष्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा तथा लिफलेट्स भी वितरित किये जायेंगे, जिससे कृषकों को इसकी जानकारी मिल सके तथा इसका आवेदन संबंधित बैंक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को कृषकों द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी आकस्मिकता मद से प्रचार-प्रसार करेंगे एवं लिफलेट्स वितरित करेंगे।

12. मेला :-

(क) जिला स्तर :-

विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्रों की शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में जिला मुख्यालय में मेला का आयोजन किया जाएगा तथा मेले की उपलब्धि हेतु जिलाधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जायगा। इस हेतु मेले के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से निधि उपलब्ध कराया जा रहा है। निधि नहीं रहने के स्थिति में मेले के लिए राशि जिला कृषि पदाधिकारी को संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा निधि उपलब्ध कराएंगे तथा मेले में कृषि यांत्रिकीकरण के साथ आत्मा से संबंधित कार्यक्रम किया जाएगा। मेले के आयोजन की तिथि/स्थान/यंत्र पर अनुदान की राशि आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार मेले के तिथि के पूर्व प्रखंड/पंचायत में माइकिंग कराकर कराया जाय ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकें।

लक्ष्य की उपलब्धि हेतु मेले में भाग लेने वाले कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान से संबंधित आवेदन पत्र सरलता से प्राप्त हो जाय, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए पर्याप्त आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास प्रखंड के काउन्टर पर उपलब्ध हो। आवेदन पत्र को भरने में संबंधित प्रखंड के कर्मचारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ को सहयोग करने का निदेश दिया जाय।

मेले के पूर्व बैंकर्स/कृषि यंत्र आपूर्तिकर्ता/निर्माताकर्ता की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में करायी जाय ताकि मेले के पूर्व बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन को स्वीकृत किया जा सके तथा पावर टिलर एवं अन्य बैंक लिंकड कृषि यंत्र के आपूर्तिकर्ता द्वारा उसी दिन मेले में ही कृषक को पावर टिलर अन्य बैंक लिंकड कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही मेले में ही संबंधित कृषक/बैंक/आपूर्तिकर्ता/निर्माणकर्ता को एकाउन्ट पेयी चेक उपलब्ध कराया जाय। प्रखंडवार काउन्टर निर्माण कराया जाना तथा प्रत्येक प्रखंड के काउन्टर पर किसान सलाहकार/विषयवस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष तकनीकी पदाधिकारी की उपस्थिति एवं पंजी आदि की व्यवस्था जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा मेले में जिन कृषकों को कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है उस किसान/आपूर्तिकर्ता/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि विभाग के अन्य प्रतिनिधि के साथ फोटोग्राफी कराएंगे। फोटो का हार्ड कॉपी रिकॉर्ड के साथ संधारित करेंगे तथा सॉफ्ट कॉपी भी संधारित रखेंगे। मेले में सभी प्रकार के कृषि यंत्र की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सभी कृषि यंत्र आपूर्तिकर्ता/विक्रयकर्ता को मेले में भाग लेने हेतु पूर्व में ही सूचित किया जाएगा तथा बैंक के पदाधिकारियों को भी मेले में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायगा। मेले में स्टॉल पर वे ही कृषि यंत्र उपलब्ध रहेंगे, जिसके संबंध में कार्यान्वयन अनुदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है।

(ख) राज्य स्तर :- राज्य स्तर पर किसान मेला का आयोजन किया जाना है। जिसमें राज्य स्तर पर कृषि यंत्रों का प्रदर्शनी/प्रत्यक्षण/प्रशिक्षण आयोजित किया जाय जिसमें देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जाय। प्रत्येक जिला से किसानों को इस प्रदर्शनी को दिखाने के लिये बुलाया जाय। ऐसा होने पर आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को हो सकेगी एवं वे सरकार के द्वारा दी जा रही अनुदान का लाभ ले सकेंगे।

13. कृषक प्रशिक्षण :

- कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के स्तर से किया जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग, रख-रखाव तथा मरम्मत आदि के संबंध में कृषकों को जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दिया जाना है, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर जीरो टिलेज मशीन, थ्रेसर, पम्पसेट, रीपर, पावर टिलर प्राप्त कृषकों को

प्रशिक्षित किया जाना है, तदोपरान्त अन्य कृषि यंत्र प्राप्त लाभान्वितों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के द्वारा वैज्ञानिकों/कृषि अभियंताओं को बुलाकर जिला स्तर पर संबंधित कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु निदेशक, बामेति, बिहार कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षित कराने का कार्य करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी वैसे कृषकों की सूची जिन्होंने कृषि यंत्र प्राप्त किया है, परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे, ताकि परियोजना निदेशक, आत्मा इस कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप दे सकें जिससे कृषकों को आसानी से यंत्रों की जानकारी हो सकेगा।

कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य के प्रशिक्षण हेतु कृषकों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है जिस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी कृषकों की सूची परियोजना निदेशक, आत्मा को देते हुए निदेशक, बामेति बिहार को उपलब्ध कराएँगे। जिस हेतु अपने स्तर से शीघ्र ठोस कार्यक्रम बनाकर कृषकों को राज्य से बाहर भारत सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित संस्थानों यथा एफ0एम0टी0एण्डटी0आई0 बुदनी/एन0आर0एफ0एम0टी0एण्डटी0आई0, हिसार आदि जगहों पर प्रशिक्षण दिलाया जाय। साथ ही तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान के तहत भी कृषकों को राजकीय प्रक्षेत्र/किसान के खेत में कृषि यंत्रों का प्रयोग कर जागरूक करना है ताकि वे नये कृषि यंत्र अनुदानित दर पर क्रय कर लाभ प्राप्त कर सकें।

राज्य से बाहर कृषक प्रशिक्षण :-

- i. इस योजना के तहत 20 (बीस) कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों/उपकरणों/औजारों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है।
- ii. यह प्रशिक्षण राज्य से बाहर भारत सरकार के महत्वपूर्ण संस्थानों जो कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित है, वहीं प्रशिक्षण दिलाया जायगा।

तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान :-

- (i) इसके तहत उन्नत/आधुनिक यांत्रिकरण तकनीक किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जायगा।
- (ii) उन्नत कृषि यंत्रों, औजारों, मशीनों के बारे में कृषि यांत्रिकीकरण जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसके तहत प्रचार वाहन, माईक, बैनर, पोस्टर/लिफलेट्स/ पम्पलेट्स एवं विशेषज्ञ के साथ जिले के सभी प्रखण्डों/ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना है।
- (iii) इसके तहत पच्चास (50) कृषकों के बीच तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना है।
- (iv) यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित किया जायगा। जिसमें योजना में शामिल किये गए सभी प्रकार के घटक यंत्र का नमूना लाया जायगा तथा इसका प्रचार-प्रसार कर कृषकों को बुलाया जायगा तथा उन्हें यंत्र का प्रत्यक्षण कर कृषि अभियन्ता/कृषि वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी जायगी एवं यंत्र से संबंधित लिफलेट/बुकलेट भी कृषकों को उपलब्ध कराया जायगा।
कृषक प्रशिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए आत्मा द्वारा निधि की व्यवस्था की जायगी।

14. अनुश्रवण :-

1. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने वाले लाभुक कृषकों की सूची यंत्रवार कृषि विभाग के वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के उपरान्त डाल दिया जायगा।
2. जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ लाभान्वित कृषकों की सूची की एक प्रति कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करायेंगे,

- जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। लाभान्वित कृषकों की सूची की दूसरी प्रति विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह में जिला स्थित सेल टैक्स कार्यालय को भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे।
- छोटे कृषि यंत्रों को छोड़कर शेष सभी वितरित कृषि यंत्रों को संयुक्त कृषि निदेशक के स्तर से 15 प्रतिशत, जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से 30 प्रतिशत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/कृषि अभियन्ता 50—50 प्रतिशत क्षेत्राधीन अन्तर्गत अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्र का जाँच किया जायगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा शत—प्रतिशत कृषि यंत्रों का जाँच किया जायगा। उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी जांचोपरान्त जांच प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध कराएँगे, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।
 - जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरित कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कृषि अभियन्ताओं द्वारा भी किया जाएगा तथा इसका प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायगा। इस हेतु संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण, बिहार पटना कृषि अभियन्ताओं को 2—3 जिला संबंध कर सक्षम पदाधिकारी से आदेश निर्गत कराएँगे तथा संबंधित कृषि अभियन्ता को आदेश हस्तगत कराएँगे।
 - संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार ट्रैक्टर/पावर टीलर/पम्पसेट एवं अन्य यंत्रों जिस पर 5000 रुपया या 5000 रु० से अधिक अनुदान का प्रावधान किया गया है के निर्माता से जिलावार डीलर/आपूर्तिकर्ता की सूची प्राप्त कर जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक को सूची अविलम्ब उपलब्ध कराएँगे तथा इसकी एक—एक प्रति कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध कराएँगे।
 - संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार सभी जिलों का दौरा करेंगे एवं विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत यंत्रों के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षोपरान्त स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध कराएँगे।
 - वित्तीय वर्ष के अंत में लाभान्वित कृषकों की पूर्ण सूची का साफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र में जिला कृषि पदाधिकारी स्पाईरल बाइंडिंग कराकर कृषि निदेशक, बिहार/नोडल पदाधिकारी को निश्चित रूप से अप्रैल 2012 के 15वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :—

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन—जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायगा।
- कम्बाईन हार्वेस्टर बैंक ऋण आधारित होगा।
- कम्बाईन हार्वेस्टर जिन कृषकों द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त किया जायगा, उन्हें स्ट्रा रिपर भी निश्चित रूप से लेना पड़ेगा इस हेतु स्ट्रा रिपर के लिए उन्हें निर्धारित अनुदान देय होगा। ताकि पशुचारा का प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
- नकद पत्र मूल(Original) में होना चाहिये। जिस पर यंत्र का Specification (यंत्र का अश्वशक्ति, मेक/मॉडल/साइज/टाईन अंकित हो) एवं ऐसेसरीज में ऐसेसरीज का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
- फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर वैट (vat) कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला स्थित सेल टैक्स कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह के समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी देंगे ताकि क्रास चेकिंग हो सके। (वैट कटौती से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में परिपत्र—संलग्न)
- आपूर्तिकर्ता/एजेन्सी/बिक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों पर प्लेट निश्चित रूप से लगा होना चाहिए, जिस पर योजना का नाम, जिला का नाम वित्तीय वर्ष आदि अंकित रहे (छोटे, मानव, पशु चालित कृषि यंत्र को छोड़कर)।
- स्वीकृत्योदश में जिन यंत्रों पर अनुदान देय है उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।

अध्याय-3

विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के लिए विभिन्न मदों का योजनावार/ जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य



**मैकोमैनेजमेंट योजना अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण एवं पौधा संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कृषि यंत्रों का,
वर्ष 2011-12 हेतु लक्ष्य (राशि लाख रु० में)**

क्र० सं०	जिला का नाम	ट्रैक्टर 60000 रु०/ ई०				आकस्मिकता वित्तीय (मैक्रो०)	योग				मानवचासित बीजोपचार ड्रम रु० 1600/ई०			
		लक्ष्य					लक्ष्य				लक्ष्य			
		भौतिक	वित्तीय (मैक्रो०)	वित्तीय (राज्यांश)	कुल योग		भौ०	वित्तीय (मैको०)	वित्तीय (राज्यांश)	कुल योग	भौ०	वित्तीय (मैको०)	वित्तीय (राज्यांश)	कुल योग
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	225	101.250	33.750	135.000	1.010	225	102.260	33.75	136.01	30	0.24	0.2400	0.48
2	नालंदा	195	87.750	29.250	117.000	0.870	195	88.620	29.25	117.87	20	0.16	0.1600	0.32
3	भोजपुर	140	63.000	21.000	84.000	0.630	140	63.630	21.00	84.63	30	0.24	0.2400	0.48
4	बक्सर	105	47.250	15.750	63.000	0.470	105	47.720	15.75	63.47	20	0.16	0.1600	0.32
5	रोहतास	100	45.000	15.000	60.000	0.450	100	45.450	15.00	60.45	30	0.24	0.2400	0.48
6	भभुआ	75	33.750	11.250	45.000	0.330	75	34.080	11.25	45.33	20	0.160	0.1600	0.32
7	गया	270	121.500	40.500	162.000	1.210	270	122.710	40.50	163.21	30	0.24	0.2400	0.48
8	अरवल	35	15.750	5.250	21.000	0.150	35	15.900	5.25	21.15	20	0.16	0.1600	0.32
9	जहानाबाद	80	36.000	12.000	48.000	0.360	80	36.360	12.00	48.36	20	0.160	0.1600	0.32
10	नवादा	170	76.500	25.500	102.000	0.760	170	77.260	25.50	102.76	25	0.2	0.2000	0.40
11	औरंगाबाद	130	58.500	19.500	78.000	0.580	130	59.080	19.50	78.58	35	0.28	0.2800	0.56
12	सारण	60	27.000	9.000	36.000	0.270	60	27.270	9.00	36.27	35	0.28	0.2800	0.56
13	सिवान	90	40.500	13.500	54.000	0.400	90	40.900	13.50	54.40	35	0.28	0.2800	0.56
14	गोपालगंज	115	51.750	17.250	69.000	0.510	115	52.260	17.25	69.51	35	0.28	0.2800	0.56
15	मुजफ्फरपुर	170	76.500	25.500	102.000	0.760	170	77.260	25.50	102.76	35	0.28	0.2800	0.56
16	पूर्वी० चम्पारण	240	108.000	36.000	144.000	1.080	240	109.080	36.00	145.08	35	0.28	0.2800	0.56
17	प० चम्पारण	100	45.000	15.000	60.000	0.450	100	45.450	15.00	60.45	25	0.2	0.2000	0.40
18	सीतामढ़ी	115	51.750	17.250	69.000	0.510	115	52.260	17.25	69.51	25	0.2	0.2000	0.40
19	शिवहर	41	18.450	6.150	24.600	0.180	41	18.630	6.15	24.78	25	0.2	0.2000	0.40
20	वैशाली	180	81.000	27.000	108.000	0.810	180	81.810	27.00	108.81	35	0.28	0.2800	0.56
21	दरभंगा	105	47.250	15.750	63.000	0.470	105	47.720	15.75	63.47	35	0.28	0.2800	0.56
22	मधुबनी	70	31.500	10.500	42.000	0.310	70	31.810	10.50	42.31	30	0.24	0.2400	0.48
23	समस्तीपुर	208	93.600	31.200	124.800	0.930	208	94.530	31.20	125.73	30	0.24	0.2400	0.48
24	बेगुसराय	75	33.750	11.250	45.000	0.330	75	34.080	11.25	45.33	25	0.2	0.2000	0.40
25	मुंगेर	25	11.250	3.750	15.000	0.110	25	11.360	3.75	15.11	35	0.28	0.2800	0.56
26	लखीसराय	55	24.750	8.250	33.000	0.240	55	24.990	8.25	33.24	15	0.12	0.1200	0.24
27	शेखपुरा	30	13.500	4.500	18.000	0.130	30	13.630	4.50	18.13	15	0.12	0.1200	0.24
28	जमुई	70	31.500	10.500	42.000	0.310	70	31.810	10.50	42.31	15	0.12	0.1200	0.24
29	भागलपुर	120	54.000	18.000	72.000	0.540	120	54.540	18.00	72.54	35	0.28	0.2800	0.56
30	बांका	15	6.750	2.250	9.000	0.060	15	6.810	2.25	9.06	20	0.16	0.1600	0.32
31	सहरसा	60	27.000	9.000	36.000	0.270	60	27.270	9.00	36.27	30	0.24	0.2400	0.48
32	सुपौल	80	36.000	12.000	48.000	0.360	80	36.360	12.00	48.36	15	0.12	0.1200	0.24
33	मधेपुरा	65	29.250	9.750	39.000	0.290	65	29.540	9.75	39.29	30	0.24	0.2400	0.48
34	पूर्णिया	130	58.500	19.500	78.000	0.580	130	59.080	19.50	78.58	30	0.24	0.2400	0.48
35	किशनगंज	30	13.500	4.500	18.000	0.130	30	13.630	4.50	18.13	15	0.120	0.1200	0.24
36	अररिया	100	45.000	15.000	60.000	0.450	100	45.450	15.00	60.45	15	0.120	0.1200	0.24
37	कटिहार	100	45.000	15.000	60.000	0.450	100	45.450	15.00	60.45	30	0.240	0.2400	0.48
38	खगड़िया	90	40.500	13.500	54.000	0.400	90	40.900	13.50	54.40	15	0.12	0.1200	0.24
Total		4064	1828.80	609.60	2438.40	18.15	4064	1846.95	609.60	2456.55	1000	8.00	8.00	16.00

कृषि रोड मैप, 2011-12

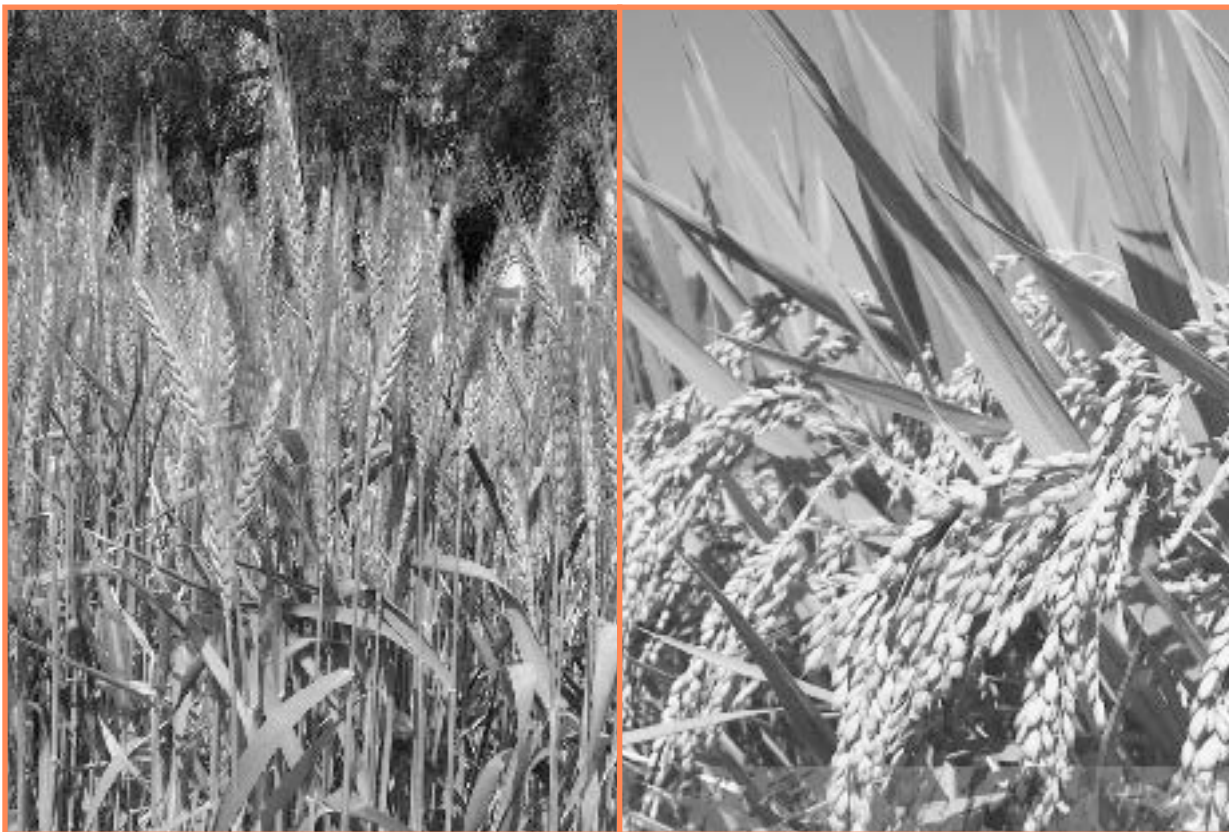
क्र.सं.	खिला का नाम	विशालदिनेश मशीन रु 40000/-				सीध कम फर्टिलाइजर डील रु 40000/-				ईपी सीडर/डीप खादर रु 40000/-				मैडी ट्रान्स खादर रु 80000/-				डिस्कर रु 2000/-				पोटेटो डीप रु 30000/-				पोटेटो खादर रु 30000/-				पोस्ट होल्ड डीमर रु 80000/-				पावर वीयर रु 30000/-			
		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य			
		मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल	मौ	राज्य	राज्य	कुल
1	2	52	53	54	55	58	59	60	61	64	65	66	67	70	71	72	73	76	77	78	79	82	83	84	85	88	89	90	91	94	95	96	97	100	101	102	103
1	पटना	20	400	400	800	50	1000	1000	2000	8	160	160	320	4	160	160	320	390	390	390	780	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	2	030	030	060
2	नालन्दा	20	400	400	800	50	1000	1000	2000	8	160	160	320	4	160	160	320	465	465	465	930	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	2	030	030	060
3	मोहनपुर	20	400	400	800	40	800	800	1600	6	120	120	240	3	120	120	240	440	440	440	880	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	1	015	015	030
4	बक्सर	20	400	400	800	30	600	600	1200	5	100	100	200	2	080	080	160	375	375	375	750	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
5	रोहतास	20	400	400	800	40	800	800	1600	7	140	140	280	4	160	160	320	700	700	700	1400	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	1	015	015	030
6	कटिहार	20	400	400	800	30	600	600	1200	4	080	080	160	2	080	080	160	360	360	360	720	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
7	गया	20	400	400	800	50	1000	1000	2000	9	180	180	360	4	160	160	320	390	390	390	780	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	1	015	015	030
8	जहानाबाद	10	200	200	400	30	600	600	1200	3	060	060	120	1	040	040	080	140	140	140	280	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
9	अरवल	10	200	200	400	30	600	600	1200	5	100	100	200	2	080	080	160	265	265	265	530	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
10	नवलपा	15	300	300	600	30	600	600	1200	5	100	100	200	2	080	080	160	265	265	265	530	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
11	अररियाबाद	20	400	400	800	30	600	600	1200	4	080	080	160	2	080	080	160	360	360	360	720	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
12	मानसपुर	20	400	400	800	30	600	600	1200	6	120	120	240	3	120	120	240	250	250	250	500	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
13	बोकारो	10	200	200	400	20	400	400	800	4	080	080	160	2	080	080	160	185	185	185	370	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
14	मुंगेर	10	200	200	400	20	400	400	800	3	060	060	120	1	040	040	080	120	120	120	240	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
15	जमुई	15	300	300	600	20	400	400	800	4	080	080	160	2	080	080	160	90	90	90	180	5	075	075	150	5	075	075	150	2	080	080	160	1	015	015	030
16	लखीसराय	10	200	200	400	20	400	400	800	2	040	040	080	1	040	040	080	130	130	130	260	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
17	शिवपुर	10	200	200	400	20	400	400	800	2	040	040	080	1	040	040	080	110	110	110	220	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
18	सिवा	20	400	400	800	30	600	600	1200	7	140	140	280	3	120	120	240	500	500	500	1000	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
19	सिवा	15	300	300	600	30	600	600	1200	7	140	140	280	4	160	160	320	510	510	510	1020	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
20	मोहनगंज	20	400	400	800	20	400	400	800	5	100	100	200	3	120	120	240	485	485	485	970	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
21	मुजफ्फरपुर	19	380	380	760	30	600	600	1200	7	140	140	280	4	160	160	320	475	475	475	950	10	150	150	300	10	150	150	300	3	120	120	240	1	015	015	030
22	सोनीतही	12	240	240	480	23	460	460	920	6	120	120	240	3	120	120	240	240	240	240	480	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	1	015	015	030
23	सोनीतही	13	260	260	520	20	400	400	800	6	120	120	240	3	120	120	240	340	340	340	680	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
24	शिवहर	4	080	080	160	20	400	400	800	2	040	040	080	1	040	040	080	80	80	80	160	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
25	कुं चम्पारण	20	400	400	800	20	400	400	800	10	200	200	400	5	200	200	400	600	600	600	1200	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
26	कुं चम्पारण	14	280	280	560	40	800	800	1600	7	140	140	280	4	160	160	320	450	450	450	900	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
27	दरभंगा	13	260	260	520	30	600	600	1200	6	120	120	240	3	120	120	240	370	370	370	740	5	075	075	150	5	075	075	150	2	080	080	160	1	015	015	030
28	नूदनी	16	320	320	640	40	800	800	1600	8	160	160	320	4	160	160	320	450	450	450	900	10	150	150	300	10	150	150	300	1	040	040	080	1	015	015	030
29	समस्तीपुर	15	300	300	600	40	800	800	1600	8	160	160	320	4	160	160	320	300	300	300	600	10	150	150	300	10	150	150	300	2	080	080	160	1	015	015	030
30	बेगूसराय	13	260	260	520	30	600	600	1200	7	140	140	280	4	160	160	320	335	335	335	670	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
31	सहरसा	7	140	140	280	20	400	400	800	3	060	060	120	1	040	040	080	270	270	270	540	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
32	सुपौल	8	160	160	320	20	400	400	800	4	080	080	160	2	080	080	160	300	300	300	600	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
33	अररुआ	10	200	200	400	30	600	600	1200	5	100	100	200	2	080	080	160	240	240	240	480	5	075	075	150	5	075	075	150	1	040	040	080	1	015	015	030
34	खगड़िया	5	101																																		

क्र.सं.	खिला का नाम	कोनोवीडर रु 800/-	मार्कन रु 500/-				सोय/डालर रु 1600/-				पमस्ट रु 10000/-				सिचाई पाईप रु 15000/- 800 मीटर				रिपर रु 8000/- (सैक प्रोपेक्ट)				पार थ्रेसर रु 24000/-				मेच सेलर रु 24000/-				कपाईडन हाईडर रु 50000/-				वीक कटर रु 4000/-			
			लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य			
			नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री	नौ	राकडू किग्री		
1	2	106	107	110	111	112	113	116	117	118	119	122	123	126	127	130	131	132	133	136	137	138	139	142	143	144	145	148	149	150	151	154	155	156	157			
1	पटना	3600	28.80	283	0.7075	0.71	1.42	650	5.20	5.20	10.40	650	65.00	220	33.00	30	12.00	12.00	24.00	230	27.60	27.60	55.20	2	0.24	0.24	0.48	5	7.50	17.50	25.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
2	नालन्दा	4263	34.10	335	0.8375	0.84	1.68	590	4.72	4.72	9.44	570	57.00	190	28.50	30	12.00	12.00	24.00	200	24.00	24.00	48.00	2	0.24	0.24	0.48	4	6.00	14.00	20.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
3	मोक्षपुर	3845	30.76	296	0.74	0.74	1.48	440	3.52	3.52	7.04	400	40.00	140	21.00	30	12.00	12.00	24.00	150	18.00	18.00	36.00	2	0.24	0.24	0.48	6	9.00	21.00	30.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
4	बक्सर	3082	24.66	231	0.5775	0.58	1.16	310	2.48	2.48	4.96	310	31.00	100	15.00	30	12.00	12.00	24.00	110	13.20	13.20	26.40	2	0.24	0.24	0.48	4	6.00	14.00	20.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
5	रोहतास	6285	50.28	489	1.2225	1.22	2.45	550	4.40	4.40	8.80	540	54.00	180	27.00	30	12.00	12.00	24.00	195	23.40	23.40	46.80	2	0.24	0.24	0.48	10	15.00	35.00	50.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
6	कैमूर	3525	28.20	283	0.7075	0.71	1.42	310	2.48	2.48	4.96	310	31.00	100	15.00	30	12.00	12.00	24.00	110	13.20	13.20	26.40	1	0.12	0.12	0.24	4	6.00	14.00	20.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
7	गया	5505	44.04	489	1.2225	1.22	2.45	590	4.72	4.72	9.44	650	65.00	210	31.50	30	12.00	12.00	24.00	190	22.80	22.80	45.60	2	0.24	0.24	0.48	3	4.50	10.50	15.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
8	जहानाबाद	1780	14.24	154	0.385	0.39	0.77	200	1.60	1.60	3.20	200	20.00	70	10.50	15	6.00	6.00	12.00	70	8.40	8.40	16.80	2	0.24	0.24	0.48	2	3.00	7.00	10.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
9	अरवल	1168	9.34	103	0.2575	0.26	0.52	140	1.12	1.12	2.24	140	14.00	50	7.50	15	6.00	6.00	12.00	45	5.40	5.40	10.80	2	0.24	0.24	0.48	1	1.50	3.50	5.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
10	नवादा	2807	22.46	231	0.5775	0.58	1.16	400	3.20	3.20	6.40	400	40.00	130	19.50	30	12.00	12.00	24.00	130	15.60	15.60	31.20	2	0.24	0.24	0.48	2	3.00	7.00	10.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
11	अर्रिगाबाद	4955	39.64	437	1.0925	1.09	2.19	310	2.48	2.48	4.96	310	31.00	110	16.50	30	12.00	12.00	24.00	105	12.60	12.60	25.20	2	0.24	0.24	0.48	3	4.50	10.50	15.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
12	भागलपुर	2055	16.44	154	0.385	0.39	0.77	450	3.60	3.60	7.20	450	45.00	150	22.50	30	12.00	12.00	24.00	150	18.00	18.00	36.00	25	3.00	3.00	6.00	2	3.00	7.00	10.00	100	2.00	2.00	4.00	4.00		
13	बेका	2847	22.78	257	0.6425	0.64	1.29	310	2.48	2.48	4.96	310	31.00	100	15.00	30	12.00	12.00	24.00	100	12.00	12.00	24.00	10	1.20	1.20	2.40	1	1.50	3.50	5.00	50	1.00	1.00	2.00	2.00		
14	मुरै	1135	9.08	90	0.225	0.23	0.45	260	2.08	2.08	4.16	260	26.00	90	13.50	30	12.00	12.00	24.00	90	10.80	10.80	21.60	2	0.24	0.24	0.48	1	1.50	3.50	5.00	60	1.20	1.20	2.40	2.40		
15	जमुई	1895	15.16	180	0.45	0.45	0.9	290	2.32	2.32	4.64	290	29.00	100	15.00	30	12.00	12.00	24.00	100	12.00	12.00	24.00	2	0.24	0.24	0.48	1	1.50	3.50	5.00	90	1.80	1.80	3.60	3.60		
16	खगड़िया	1160	9.28	90	0.225	0.23	0.45	200	1.60	1.60	3.20	200	20.00	70	10.50	30	12.00	12.00	24.00	70	8.40	8.40	16.80	1	0.12	0.12	0.24	1	1.50	3.50	5.00	47	0.94	0.94	1.88	1.88		
17	शेखपुरा	991	7.93	77	0.1925	0.19	0.39	160	1.28	1.28	2.56	160	16.00	60	9.00	30	12.00	12.00	24.00	55	6.60	6.60	13.20	2	0.24	0.24	0.48	1	1.50	3.50	5.00	32	0.64	0.64	1.28	1.28		
18	सांग	3278	26.22	219	0.5475	0.55	1.1	540	4.32	4.32	8.64	560	56.00	180	27.00	30	12.00	12.00	24.00	180	21.60	21.60	43.20	20	2.40	2.40	4.80	3	4.50	10.50	15.00	195	3.90	3.90	7.80	7.80		
19	सिवान	3423	27.38	231	0.5775	0.58	1.16	510	4.08	4.08	8.16	530	53.00	170	25.50	30	12.00	12.00	24.00	170	20.40	20.40	40.80	10	1.20	1.20	2.40	3	4.50	10.50	15.00	173	3.46	3.46	6.92	6.92		
20	गोपालगंज	3360	26.88	231	0.5775	0.58	1.16	390	3.12	3.12	6.24	390	39.00	130	19.50	30	12.00	12.00	24.00	130	15.60	15.60	31.20	10	1.20	1.20	2.40	4	6.00	14.00	20.00	138	2.76	2.76	5.52	5.52		
21	मुजफ्फरपुर	4886	39.09	400	1	1	2	510	4.08	4.08	8.16	450	45.00	160	24.00	30	12.00	12.00	24.00	180	21.60	21.60	43.20	30	3.60	3.60	7.20	3	4.50	10.50	15.00	231	4.62	4.62	9.24	9.24		
22	बैतानी	2032	16.26	154	0.385	0.39	0.77	450	3.60	3.60	7.20	440	44.00	150	22.50	30	12.00	12.00	24.00	140	16.80	16.80	33.60	18	2.16	2.16	4.32	1	1.50	3.50	5.00	171	3.42	3.42	6.84	6.84		
23	सोतामही	3355	26.84	270	0.675	0.68	1.35	450	3.60	3.60	7.20	470	47.00	150	22.50	20	8.00	8.00	16.00	150	18.00	18.00	36.00	8	0.96	0.96	1.92	3	4.50	10.50	15.00	161	3.22	3.22	6.44	6.44		
24	सिधहर	796	6.37	64	0.16	0.16	0.32	130	1.04	1.04	2.08	130	13.00	50	7.50	20	8.00	8.00	16.00	40	4.80	4.80	9.60	2	0.24	0.24	0.48	1	1.50	3.50	5.00	31	0.62	0.62	1.24	1.24		
25	पुष्पारण	6152	49.22	501	1.2525	1.25	2.51	690	5.52	5.52	11.04	750	75.00	240	36.00	30	12.00	12.00	24.00	200	24.00	24.00	48.00	20	2.40	2.40	4.80	5	7.50	17.50	25.00	242	4.84	4.84	9.68	9.68		
26	क. जयारण	5420	43.36	463	1.1575	1.16	2.32	510	4.08	4.08	8.16	510	51.00	160	24.00	30	12.00	12.00	24.00	150	18.00	18.00	36.00	5	0.60	0.60	1.20	3	4.50	10.50	15.00	186	3.72	3.72	7.44	7.44		
27	दरभंगा	3191	25.53	244	0.61	0.61	1.22	500	4.00	4.00	8.00	500	50.00	160	24.00	30	12.00	12.00	24.00	160	19.20	19.20	38.40	15	1.80	1.80	3.60	2	3.00	7.00	10.00	195	3.90	3.90	7.80	7.80		
28	मधुबनी	4823	38.58	400	1	1	2	550	4.40	4.40	8.80	560	56.00	190	28.50	30	12.00	12.00	24.00	180	21.60	21.60	43.20	2	0.24	0.24	0.48	3	4.50	10.50	15.00	226	4.72	4.72	9.44	9.44		
29	समस्तीपुर	2778	22.22	219	0.5475	0.55	1.1	580	4.64	4.64	9.28	580	58.00	200	30.00	30	12.00	12.00	24.00	200	24.00	24.00	48.00	40	4.80	4.80	9.60	3	4.50	10.50	15.00	225	4.50	4.50	9.00	9.00		
30	बेगूसराय	1316	10.53	51	0.1275	0.13	0.26	900	4.00	4.00	8.00	510	51																									

क्र० श०	जिला का नाम	हाइड्रोलेक ट्रेलर रु० 40000 / -					साईस मिल/ दाल मिल औयल एक्सपेंडर					किसान मेला जिला स्तर रु० 50000 / -					किसान मेला राज्य स्तर रु० 2500000 / -					कृषि यंत्र निर्माताओं को प्रोत्साहन रु० 10000000 / -					कुल					
		लक्ष्य					लक्ष्य					लक्ष्य					लक्ष्य					लक्ष्य					लक्ष्य					
		मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल	मौ०	रा०कृ० वि०यो०	राज्य वि०यो०	कुल			
1	2	160	161	162	163	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	पटना	70	14.00	14.00	28.00	6	0.90	0.90	1.80	12	6.0																					
2	नालन्दा	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
3	भोजपुर	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
4	बक्सर	30	6.00	6.00	12.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
5	रोहतास	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
6	कैमूर	30	6.00	6.00	12.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
7	मधेपुरा	70	14.00	14.00	28.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
8	जहानाबाद	20	4.00	4.00	8.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
9	अरवल	15	3.00	3.00	6.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
10	नवादा	40	8.00	8.00	16.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
11	औरंगाबाद	40	8.00	8.00	16.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
12	भागलपुर	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
13	बाँका	40	8.00	8.00	16.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
14	मुँगेर	25	5.00	5.00	10.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
15	जमुई	30	6.00	6.00	12.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
16	लखीसराय	15	3.00	3.00	6.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
17	शेखपुरा	15	3.00	3.00	6.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
18	सारन	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
19	सिवान	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
20	गोपालगंज	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
21	मुजफ्फरपुर	100	20.00	20.00	40.00	5	0.75	0.75	1.50	12	6.0																					
22	बेगली	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
23	सीतामढ़ी	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
24	शिवहर	25	5.00	5.00	10.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
25	चम्पारण	100	20.00	20.00	40.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
26	चमपारण	50	10.00	10.00	20.00	4	0.60	0.60	1.20	12	6.0																					
27	दरभंगा	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
28	मधुबनी	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
29	समस्तीपुर	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
30	बेगूसराय	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
31	सहरसा	100	20.00	20.00	40.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
32	सुपौल	50	10.00	10.00	20.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
33	मधेपुरा	100	20.00	20.00	40.00	3	0.45	0.45	0.90	12	6.0																					
34	खगड़िया	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
35	पुर्णिमा	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
36	किसनगंज	30	6.00	6.00	12.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
37	अररिया	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
38	कटिहार	50	10.00	10.00	20.00	2	0.30	0.30	0.60	12	6.0																					
39	संकुलान्ति अभिव्यञ्ज																															
40	कृषि निदेशक																															
	कुल	1845	369.00	369.00	738.00	100	15.00	15.00	30.00	456	228.00	4	100.00	4	100.00	3	300.00	4	100.00	3	300.00	3	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
	कुल	1845	369.00	369.00	738.00	100	15.00	15.00	30.00	456	228.00	4	100.00	4	100.00	3	300.00	4	100.00	3	300.00	3	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

हरित क्रांति

क्र०सं०	घटक	भौतिक	भौतिक (रु० लाख में)
1	2	3	4
1	चावल		
a	सैलो ट्यूब वेल	6000	720.00
b	पम्पसेट	6000	600.00
2	गेहूँ		
a	सैलो ट्यूब वेल	6000	720.00
b	पम्पसेट	6000	600.00
	कुल		2640.00



कृषि विभाग, बिहार सरकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वित्तीय वर्ष-2011-12

क्र० सं०	जिला का नाम	कोनो वीडर वितरण रु० 800/यंत्र		मार्कर रु० 500/यंत्र		नेप-सेक स्प्रेयर वितरण रु० 1600/यंत्र		सीड ड्रिल वितरण रु० 40,000/यंत्र		सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल वितरण रु० 40,000/यंत्र		जिरो टिलेज वितरण रु० 40,000/यंत्र		पावर वीडर वितरण रु० 30,000/यंत्र	
		भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	नालन्दा	234	1.87	50	0.25	643	10.29	4	1.60	2	0.80	12	4.80	2	0.6
2	मुजफ्फरपुर	363	2.90	80	0.40	702	11.23	4	1.60	2	0.80	10	4.00	2	0.6
3	पु० चम्पारण	385	3.08	75	0.38	913	14.61	2	0.80	2	0.80	8	3.20	2	0.6
4	प० चम्पारण	296	2.37	60	0.30	677	10.83	2	0.80	2	0.80	8	3.20	2	0.6
5	सीतामढ़ी	256	2.05	50	0.25	617	9.87	2	0.80	2	0.80	8	3.20	2	0.6
6	दरभंगा	310	2.48	62	0.31	677	10.83	2	0.80	2	0.80	8	3.20	2	0.6
7	मधुबनी	375	3.00	75	0.38	772	12.35	4	1.60	2	0.80	10	4.00	2	0.6
8	समस्तीपुर	350	2.80	70	0.35	752	12.03	4	1.60	2	0.80	10	4.00	2	0.6
9	जमुई	140	1.12	30	0.15	346	5.54	2	0.80	2	0.80	6	2.40	2	0.6
10	बौका	170	1.36	40	0.20	413	6.61	2	0.80	2	0.80	6	2.40	2	0.6
11	सहरसा	150	1.20	40	0.20	196	3.14	4	1.60		0.00	4	1.60	2	0.6
12	सुपौल	170	1.36	40	0.20	352	5.63	4	1.60	2	0.80	8	3.20	2	0.6
13	मधेपुरा	160	1.28	40	0.20	418	6.69	4	1.60	2	0.80	8	3.20	2	0.6
14	किशनगंज	126	1.01	25	0.13	262	4.19	2	0.80	2	0.80	5	2.00	2	0.6
15	अररिया	200	1.60	40	0.20	398	6.37	4	1.60	2	0.80	7	2.80	2	0.6
16	कटिहार	230	1.84	46	0.23	540	8.64	2	0.80	2	0.80	6	2.40	2	0.6
17	गया	310	2.48	72	0.36	451	7.22	2	0.80		0.00	2	0.80	2	0.6
18	सीवान	275	2.20	55	0.28	365	5.84	2	0.80		0.00	2	0.80	2	0.6
19	रोहतास					283	4.53	0	0.00	2	0.80	7	2.80		
20	भभुआ					172	2.75	2	0.80	2	0.80	7	2.80		
21	नवादा					223	3.57	0	0.00	2	0.80	5	2.00		
22	सारण					363	5.81	0	0.00	2	0.80	6	2.40		
23	वैशाली					323	5.17	0	0.00	2	0.80	6	2.40		
24	मुंगेर					133	2.13	0	0.00	2	0.80	4	1.60		
25	शेखपुरा					72	1.15	0	0.00	2	0.80	3	1.20		
26	भागलपुर					283	4.53	0	0.00	2	0.80	5	2.00		
27	पूर्णिया					272	4.35	2	0.80	2	0.80	6	2.40		
28	खगड़िया					163	2.61	0	0.00	2	0.80	4	1.60		
29	पटना					33	0.53	2	0.80			2	0.80		
30	भोजपुर					33	0.53	2	0.80			2	0.80		
31	औरंगाबाद					33	0.53	2	0.80			2	0.80		
32	बक्सर					33	0.53					0	0.00		
33	जहानाबाद					33	0.53					0	0.00		
34	अरवल					33	0.53					0	0.00		
35	गोपालगंज					33	0.53					0	0.00		
36	शिवहर					33	0.53					0	0.00		
37	बेगूसराय					22	0.35					0	0.00		
38	लखीसराय					33	0.53					0	0.00		
कुल		4500	36.00	950	4.75	12100	193.60	62	24.80	50	20.00	187	74.80	36	10.8

क्र० सं०	जिला का नाम	रोटाभेटर रु० 40,000 / यंत्र		पम्प सेट रु० 10,000 / यंत्र		मल्टीक्रॉप प्लान्टर रु० 40,000 / यंत्र		लेजर लैंड लेवलर रु० 2.5 लाख / यंत्र		सिंचाई हेतु पाईप का वितरण रु० 15,000 / हे० 800 मी० पाईप	
		भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय	भौतिक (सं०मे)	वित्तीय
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	नालन्दा	46	18.4	512	51.2	6	2.4	1	2.5	10	1.500
2	मुजफ्फरपुर	42	16.8	767	76.7	6	2.4	1	2.5	5	0.750
3	पु० चम्पारण	65	26	810	81	4	1.6	1	2.5	10	1.500
4	प० चम्पारण	49	19.6	630	63	4	1.6	1	2.5	10	1.500
5	सीतामढ़ी	41	16.4	554	55.4	4	1.6	1	2.5	5	0.750
6	दरभंगा	45	18	650	65	4	1.6	1	2.5	5	0.750
7	मधुबनी	40	16	793	79.3	6	2.4	1	2.5	6	0.900
8	समस्तीपुर	44	17.6	742	74.2	6	2.4	1	2.5	4	0.600
9	जमुई	28	11.2	306	30.6	4	1.6	1	2.5	3	0.450
10	बौका	31	12.4	357	35.7	4	1.6	1	2.5	5	0.750
11	सहरसा	17	6.8	167	16.7	4	1.6	1	2.5	2	0.300
12	सुपौल	31	12.4	302	30.2	6	2.4	1	2.5	2	0.300
13	मधेपुरा	32	12.8	310	31	6	2.4	1	2.5	2	0.300
14	किशनगंज	27	10.8	258	25.8	4	1.6	1	2.5	4	0.600
15	अररिया	27	10.8	420	42	6	2.4	1	2.5	3	0.450
16	कटिहार	39	15.6	450	45	4	1.6	1	2.5	4	0.600
17	गया	25	10	356	35.6	2	0.8	1	2.5	6	0.900
18	सीवान	25	10	316	31.6	2	0.8	1	2.5	4	0.600
19	रोहतास	23	9.2	249	24.9	2	0.8			6	0.900
20	भभुआ	16	6.4	152	15.2	4	1.6			10	1.500
21	नवादा	17	6.8	195	19.5	2	0.8			4	0.600
22	सारण	23	9.2	322	32.2	2	0.8			4	0.600
23	वैशाली	21	8.4	287	28.7	2	0.8			5	0.750
24	मुंगेर	13	5.2	98	9.8	2	0.8			2	0.300
25	शेखपुरा	13	5.2	62	6.2	2	0.8			4	0.600
26	भागलपुर	19	7.6	246	24.6	2	0.8			4	0.600
27	पूर्णिया	16	6.4	245	24.5	4	1.6			3	0.450
28	खगड़िया	17	6.8	170	17	2	0.8			4	0.600
29	पटना	2	0.8	25	2.5	2	0.8			20	3.000
30	भोजपुर	3	1.2	15	1.5	2	0.8			10	1.500
31	औरंगाबाद	3	1.2	12	1.2	2	0.8			10	1.500
32	बक्सर	3	1.2	12	1.2	0	0			5	0.750
33	जहानाबाद	3	1.2	7	0.7	0	0			4	0.600
34	अरवल	3	1.2	5	0.5	0	0			4	0.600
35	गोपालगंज	3	1.2	15	1.5	0	0			3	0.450
36	शिवहर	2	0.8	5	0.5	0	0			1	0.150
37	बेगूसराय	3	1.2	20	2	0	0			4	0.600
38	लखीसराय	3	1.2	8	0.8	0	0			3	0.450
कुल		860	344.00	10850	1085.00	112	44.80	18	45.00	200	30.000

आइसोपोम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12, (यंत्रीकरण) तेलहन
का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख में)

क्रम सं०	जिला का नाम	तेलहन			
		पौधा संरक्षण यंत्र		सिंचाई पाईप (800 मीटर) प्रति ईकाइ)	
		मानव चालित			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1	पटना	234	1.87	50	7.50
2	नालन्दा	176	1.41	45	6.75
3	भोजपुर	162	1.30	40	6.00
4	बक्सर	100	0.80	26	3.90
5	रोहतास	175	1.40	45	6.75
6	भभुआ	108	0.86	30	4.50
7	गया	235	1.88	60	9.00
8	जहानाबाद	66	0.53	15	2.25
9	अरवल	50	0.40	12	1.80
10	नवादा	132	1.06	34	5.10
11	औरंगाबाद	144	1.15	36	5.40
12	भागलपुर	172	1.38	44	6.60
13	बांका	132	1.06	33	4.95
14	मुंगेर	72	0.58	18	2.70
15	जमूई	110	0.88	28	4.20
16	लखीसराय	58	0.46	15	2.25
17	शेखपुरा	40	0.32	10	1.50
18	सारण	234	1.87	50	7.50
19	सिवान	208	1.66	50	7.50
20	गोपालगंज	166	1.33	40	6.00
21	मुजफ्फरपुर	274	2.19	70	10.50
22	वैशाली	205	1.64	52	7.80
23	सितामढ़ी	194	1.55	50	7.50
24	शिवहर	38	0.30	10	1.50
25	पूर्वी चम्पारण	290	2.32	73	10.95
26	पश्चिमी चम्पारण	223	1.78	56	8.40
27	दरभंगा	234	1.87	59	8.85
28	मधुबनी	282	2.26	65	9.75
29	समस्तीपुर	270	2.16	80	12.00
30	बेगुसराय	182	1.46	46	6.90
31	सहरसा	110	0.88	27	4.05
32	सुपौल	128	1.02	32	4.80
33	मधेपुरा	120	0.96	30	4.50
34	खगड़िया	92	0.74	23	3.45
35	पुर्णियाँ	175	1.40	45	6.75
36	किशनगंज	90	0.72	22	3.30
37	अररिया	154	1.23	39	5.85
38	कटिहार	165	1.32	40	6.00
	उ०कृ०नि०(सू०)				
	सं० कृ० नि० (परिक्रम-7)				
	निदेशक (पौ०सं०)				
	कृ०नि०				
	कुल	6000	48.00	1500	225.00

आइसोपोम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12, (यंत्रीकरण) मक्का का
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख में)

क्रम सं०	जिला का नाम	मक्का			
		पौधा संरक्षण यंत्र		सिंचाई पाईप (800 मीटर) प्रति	
		मानव चालित		ईकाइ)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	7	8	9	10
1	पटना				
2	नालन्दा	404	3.2320	190	28.5000
3	भोजपुर	370	2.9600	133	19.9500
4	बक्सर	235	1.8800	105	15.7500
5	रोहतास				
6	भभुआ				
7	गया	537	4.2960	228	34.2000
8	जहानाबाद	154	1.2320	68	10.2000
9	अरवल				
10	नवादा	305	2.4400	133	19.9500
11	औरंगाबाद				
12	भागलपुर				
13	बांका				
14	मुंगेर	167	1.3360	86	12.9000
15	जमरूई				
16	लखीसराय	135	1.0800	57	8.5500
17	शेखपुरा	95	0.7600	57	8.5500
18	सारण				
19	सिवान	472	3.7760	182	27.3000
20	गोपालगंज	46	0.3680	133	19.9500
21	मुजफ्फरपुर	630	5.0400	152	22.8000
22	वैशाली				
23	सितामढ़ी				
24	शिवहर	90	0.7200	50	7.5000
25	पूर्वी चम्पारण	660	5.2800	256	38.4000
26	पश्चिमी चम्पारण	510	4.0800	171	25.6500
27	दरभंगा				
28	मधुबनी	645	5.1600	200	30.0000
29	समस्तीपुर	615	4.9200	190	28.5000
30	बेगुसराय	417	3.3360	171	25.6500
31	सहरसा	250	2.0000	95	14.2500
32	सुपौल				
33	मधेपुरा	278	2.2240	125	18.7500
34	खगड़िया				
35	पुर्णिया				
36	किशनगंज	210	1.6800	66	9.9000
37	अररिया				
38	कटिहार	375	3.0000	152	22.8000
	उ०कृ०नि०(सू०)				
	सं० कृ० नि० (परिक्रम-7)				
	निदेशक (पौ०सं०)				
	कृ०नि०				
	कुल	7600	60.8000	3000	450.0000

क्रम सं०	जिला का नाम	कुल				कुल योग	
		पौधा संरक्षण यंत्र		सिंचाई पाईप (800 मीटर) प्रति ईकाइ)			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	11	12	13	14	15	16
1	पटना	234	1.872	50	7.500	284	9.372
2	नालन्दा	580	4.640	235	35.250	815	39.890
3	भोजपुर	532	4.256	173	25.950	705	30.206
4	बक्सर	335	2.680	131	19.650	466	22.330
5	रोहतास	175	1.400	45	6.750	220	8.150
6	भभुआ	108	0.864	30	4.500	138	5.364
7	गया	772	6.176	288	43.200	1060	49.376
8	जहानाबाद	220	1.760	83	12.450	303	14.210
9	अरवल	50	0.400	12	1.800	62	2.200
10	नवादा	437	3.496	167	25.050	604	28.546
11	औरंगाबाद	144	1.152	36	5.400	180	6.552
12	भागलपुर	172	1.376	44	6.600	216	7.976
13	बांका	132	1.056	33	4.950	165	6.006
14	मुंगेर	239	1.912	104	15.600	343	17.512
15	जमूई	110	0.880	28	4.200	138	5.080
16	लखीसराय	193	1.544	72	10.800	265	12.344
17	शेखपुरा	135	1.080	67	10.050	202	11.130
18	सारण	234	1.872	50	7.500	284	9.372
19	सिवान	680	5.440	232	34.800	912	40.240
20	गोपालगंज	212	1.696	173	25.950	385	27.646
21	मुजफ्फरपुर	904	7.232	222	33.300	1126	40.532
22	वैशाली	205	1.640	52	7.800	257	9.440
23	सितामढ़ी	194	1.552	50	7.500	244	9.052
24	शिवहर	128	1.024	60	9.000	188	10.024
25	पूर्वी चम्पारण	950	7.600	329	49.350	1279	56.950
26	पश्चिमी चम्पारण	733	5.864	227	34.050	960	39.914
27	दरभंगा	234	1.872	59	8.850	293	10.722
28	मधुबनी	927	7.416	265	39.750	1192	47.166
29	समस्तीपुर	885	7.080	270	40.500	1155	47.580
30	बेगुसराय	599	4.792	217	32.550	816	37.342
31	सहरसा	360	2.880	122	18.300	482	21.180
32	सुपौल	128	1.024	32	4.800	160	5.824
33	मधेपुरा	398	3.184	155	23.250	553	26.434
34	खगड़िया	92	0.736	23	3.450	115	4.186
35	पुर्णियाँ	175	1.400	45	6.750	220	8.150
36	किशनगंज	300	2.400	88	13.200	388	15.600
37	अररिया	154	1.232	39	5.850	193	7.082
38	कटिहार	540	4.320	192	28.800	732	33.120
	उ०कृ०नि०(सू०)					0	0.000
	सं० कृ० नि० (परिक्रम-7)					0	0.000
	निदेशक (पौ०सं०)					0	0.000
	कृ०नि०					0	0.000
कुल		13600	108.8000	4500	675.0000	18100	783.800

अध्याय-4

आवेदन पत्र का प्रपत्र



कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवेदन का क्रमांक..... दिनांक वित्तीय वर्ष(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम, डाकघर, पंचायत प्रखंड
.., अनुमंडल, जिला दूरभाष/मोबाईल सं०
4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में चिन्ह लगावें)
अनुसूचित जाति () अनुसूचित जनजाति () पिछड़ी जाति ()
अत्यंत पिछड़ी जाति () अल्प संख्यक () महिला () सामान्य ()
5. उम्र (जन्म तिथि) : वर्ष..... महीना..... दिन.....
6. पहचान चिन्ह :-
7. कृषक के पास उपलब्ध भू-धारिता का विवरण (पावर टीलर पर अनुदान के लिए न्यूनतम एक एकड़/ छोटे ट्रैक्टर 15 अश्वशक्ति तक के लिए एक एकड़/ 15 अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिये 2.5 एकड़ /कम्बाईन हार्वेस्टर के लिये 5 एकड़ तथा पम्पसेट के लिये आधा एकड़ भू-धारिता अनिवार्य है।) (अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न किया जायेगा।)
ग्राम खाता सं० खेसरा सं० रकवा(एकड़ में)
8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण:-
(क) मेक/मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रान्ड नाम—
(ख) यंत्र की अश्व शक्ति—
(ग) यंत्र का मूल्य—
9. मैं पूरे मूल्य का नगद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ / मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/ मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ। (जो लागू नहीं हों उन्हें काट दें)
10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों/ वर्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है।
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं। अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा/करूँगी। इसे न तो हस्तांतरित करूँगा/करूँगी और न ही इसे बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे वसूली जायेगी एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि

अनुशंसा

मैं आवेदक किसान को जानता हूँ। ये स्वयं कृषि कार्य करते हैं। इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर ये कृषि का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

जि० प० सदस्य/प्रमुख/उप प्रमुख/मुखिया/उप मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/नगर निकाय सदस्य का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्राप्ति रसीद

नाम :-

ग्राम—

प्रखंड—

जिला—

से कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन का क्रमांक

दिनांक..... वित्तीय वर्ष है।

प्राप्तकर्ता का पूरा नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

नोट:— आवेदन पत्र किसान के द्वारा भरा जायेगा एवं इसके आलोक में प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी। किसान चाहें तो मात्र आवेदन पत्र का प्रपत्र भरकर टंकित रूप में अथवा हस्तलिखित जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के अतिरिक्त जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन का खण्ड संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही भरा जायेगा।

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)।

मैंने जाँच किया एवं तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि

1. आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम ग्राम
डाकघर, पंचायत प्रखंड अनुमंडल, जिला
..... किसान हैं एवं उक्त पते पर रहते हैं।
2. इनके द्वारा आवेदन पत्र में भू-धारिता के संबंध में दिया गया विवरण सही है। इनके पास एकड़ जमीन है (भू-धारिता के संबंध में जाँच उन्हीं कृषि यंत्रों के लिये प्रासंगिक होगा जिनमें भू-धारिता के संबंध में विभाग द्वारा व्यवस्था विहित की गयी है अन्यथा इस खंड को काट दिया जायेगा)।
3. इन्हें पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों/वर्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) वर्षों में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है। मैं उक्त कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

विषय वस्तु विशेषज्ञ का नाम/
हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का
नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र (कार्यालय द्वारा भरा जाय)

आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम
 ग्राम, डाकघर, पंचायत
 प्रखंड, अनुमंडल, जिला
 के आवेदन पत्र की जाँच की गई है एवं सही पाया गया है।

2. आप (कृषि यंत्र का नाम) पर अनुदान की पात्रता रखते हैं। आपके द्वारा उक्त कृषि यंत्र के क्रय करने पर आपको मूल्य का प्रतिशत अधिकतम रुपया अनुदान देय है।
4. आप अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से आवेदन में दिये गये मेक/मॉडल/अश्व शक्ति का कृषि यंत्र किसान मेला में खरीद सकते हैं।
1. कृषि यंत्र का क्रय करने के बाद क्रय संबंधी कैशमेमो मूल में जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करें। कैशमेमो में अनिवार्य रूप से इंजन सं० लिखा होना चाहिए।
2. नियमानुसार अनुदान की राशि क्रय किये गये कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन (जो मेला में क्रय के समय ही किया जायेगा) के पश्चात, आपके नाम एकाउंट पेयी चेक/विक्रेता के नाम एकाउंट पेयी चेक/आपके बैंक ऋण खाते में जमा किया जायेगा। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन संबंधित विहित प्रपत्र (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)

आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम

ग्राम, डाकघर, पंचायत प्रखंड

अनुमंडल, जिला के घर जाकर जाँच की गई है एवं इंजन संख्या.....

कृषि यंत्र पाया गया है। कृषि यंत्र का उपयोग किसान जुताई/दुलाई/सिंचाई/श्रेसिंग/अन्य कार्य.....

में करते हैं। किसान कृषि यंत्र से संतुष्ट हैं।

किसान का हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ
/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

बैंक शाखा द्वारा कृषि यंत्रों का ऋण स्वीकृति/वितरण संबंधी प्रतिवेदन :-

1. लाभार्थी कृषक का नाम एवं पूर्ण पता :
कृषक का नाम : पिता/पति का नाम.....ग्राम पोस्ट
.....थाना प्रखंड.....जिला.....
2. योजना का नाम :-
3. बैंक शाखा का नाम एवं पता :-
4. कृषि यंत्र का नाम :-
5. कृषि यंत्र की अश्व शक्ति/पी0टी0ओ0
6. आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :-
7. कृषि यंत्र का कुल मूल्य :-
8. कृषि यंत्र का मेक/मॉडल/ब्राण्ड :-
9. कृषि यंत्र का इंजन संख्या :-
- 9 (क) चेचिस संख्या :-
10. कृषि यंत्र कहां से जाँच किया हुआ है : (ISI/FMTTI आदि)
- (क) ऋण स्वीकृति संबंधी विवरण :-
 - (i) ऋण स्वीकृति की तिथि :
 - (ii) स्वीकृत ऋण की राशि :
 - (iii) ऋण स्वीकृति का खाता संख्या/चालू/बचत खाता संख्या/स्वीकृति आदेश सं0: अथवा
- (ख) ऋण वितरण संबंधी विवरण :
 - (i) ऋण वितरण की तिथि :
 - (ii) वितरित ऋण की राशि :
 - (iii) ऋण खाता संख्या :

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :- इसके साथ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र, प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कृषि यंत्र का कैशमेमो/ कोटेशन एवं आवासीय प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय।

ज्ञापक :- कृ0, पटना, दिनांक 2011/2012 प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, ...को सूचनार्थ एवं अनुदान विमुक्ति हेतु प्रेषित।

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र विक्रेता के लिए केश मेमो का प्रारूप

फर्म का नाम एवं पता

किसान का नाम : टीन नं०.....

पता / ग्राम : पंचायत भी.ए.टी.नं.....

कृषि यंत्र का नाम

इंजन नं० :-.....

प्रखंड :-.....जिला

विपत्र सं० दिनांक

क्र०सं०	यंत्र का नाम	कम्पनी का नाम	मेक / मॉडल	अश्व शक्ति	कुल कीमत	अनुदान की राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

किसान का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर एवं मूहर

- नोट :- (क) विपत्र तीन कॉपी में होगा। प्रथम विपत्र समेकित विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 (ख) विक्रेता अपना कुल विपत्र के साथ एक समेकित विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

समेकित विपत्र का प्रारूप

फर्म का नाम एवं पता

टीन नं० :-

भी.ए.टी.नं० :-

फोन नं.

क्र० सं०	दिनांक	विपत्र का नं०	किसान का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषि यंत्र नाम	मात्रा (सं० में)	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
कुल										

कुल प्राप्त राशि रु० / (शब्दों में) ।

कुल अनुदान की राशि रु० / (शब्दों में) ।

जिला कृषि पदाधिकारी
द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विक्रेता का हस्ताक्षर
एवं मुहर

संख्या 13-10/1999- मशी. (कार्य एवं योजना)

भारत सरकार

कृषि एवं सहकारिता विभाग

प्रौद्योगिकी एवं यंत्रीकरण अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18 अप्रैल, 2011

उप कृषि निदेशक (प्रसार, श्री राय)

प्रति,

1. सचिव (कृषि)
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश
2. निदेशक (कृषि)
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश
3. प्रबंध निदेशक
सभी राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम
4. निदेशक (कृषि अभियंत्रिकी)

(मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की सरकारें)

विषय: कृषि का वृहत-प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन नामक केन्द्रीय स्कीम में राज सहायता के लिए पात्र ट्रैक्टरों की सूची (31.03.2011 तक)

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से कृषि का वृहत-प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में राजसहायता के लिए पात्र पाए गए रीयर पावर टेक ऑफ शैफ्ट पर 40 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर वितरित करने हेतु सूची जारी की गई थी ।

2. उपर्युक्त सूची पिछली सभी सूचियों के निरस्त करते हुए अब संशोधित (31.03.2011 तक) की गई है और इसकी एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है । 40 पी.टी.ओ. हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टरों का वितरण विभाग द्वारा 40 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टरों के वितरण के लिए जारी की गई दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा । निर्माता ने इस मंत्रालय को आश्वस्त किया है कि सूची अनुसार सभी ट्रैक्टर माडल देश में उनके द्वारा नियुक्त डीलरों पर उपलब्ध है ।

संलग्न : उक्तानुसार

भवदीय .



(ओम सिंह)

उप आयुक्त (मशीनरी)

दूरभाष 011-23382922

No. 13-10/99-My(I&P)
Government of India
MINISTRY OF AGRICULTURE
Department of Agriculture & Cooperation
(Mechanization & Technology Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated, the 18th April, 2011

To,

1. The Secretary (Agriculture)
(All States/UTs)
2. Director (Agriculture)
(All States/UTs)
3. Managing Director
(All State Agro Industries Corporation)
4. Director (Agricultural Engineering)
(Government of MP, TN, Chhattisgarh and WB)

Sub. : ***List of eligible tractors for subsidy under Farm Mechanisation Programme of the Centrally Sponsored "Revised Macro Management of Agriculture (MMA) Scheme" (As on 31.03.2011).***

Sir,

I am directed to invite a reference to this Department's letter of even number, dated 22nd October, 2010, vide which, the list of tractors delivering up to 40 HP (Ps) at the rear Power Take Off (PTO) shaft and found eligible for subsidy under the farm mechanisation programme of Centrally Sponsored 'Revised Macro Management of Agriculture (MMA) Scheme' was circulated.

2. The above referred list has been revised (as on 31.03.2011) and a copy of the same is enclosed for necessary action. It may kindly be noted that the distribution of tractors up to 40 PTO HP will be done in accordance with the guidelines issued by the Department. The listed tractors are available at tractor dealer points in the country, as informed by the manufacturers.

Encl. : As stated above

Yours faithfully


(Omkar Singh)

Deputy Commissioner (M&T)

Tel. : 011-23382922

e-mail : singh.omkar14@yahoo.co.in

Copy for kind information to :

1. Concerned tractor manufacturers (as per list)
2. Directors, Farm Machinery Training & Testing Institutes - Budni (M.P.), Hissar (Haryana), Garladinne (A.P.) and Biswanath Chariali (Assam)-


(Omkar Singh)
Deputy Commissioner (M&T)

अध्याय-5

ट्रक्टर की सूची



LIST OF ELIGIBLE TRACTORS DELIVERING UPTO 40 HORSE POWER (PS) AT THE REAR POWER TAKE OFF (PTO) SHAFT FOR SUBSIDY (AS ON 31.03.2011)

Sl. No.	Tractor Make & Model	Max PTO Horse Power (Ps)	Budni Test Report No. and Month of release
1	ACE DI350	33.3	T-664/1170/2009, April 2009 T-701/1207/2009 (December, 2009 (Supplementary Test))
2	Angad 240D	17.6	T-599/1101, Sept. 2009
3	Balwan 330	28.2	T-663/1169/2009, April, 2009
4	Captain DI 2600 (Mini Tractor)	Maximum Engine Power 9.5 (PTO Not Provided)	T-630/1186/2008, July, 2008
5	Captain DI2600 4WD	8.4	T-748/1256/2010, Nov. 2010
6	Eicher 368	34	T-395/809, February, 2000
7	Eicher 312	30.5	T-474/939, May, 2003
8	Eicher 333	34.7	T-523/1009, May, 2005
9	Eicher 242 x Trac	19.3	T-532/1019, October, 2005
10	Eicher 241 x Trac	20.5	T-562/1054, Dec., 2006
11	Eicher 380	36.4	T-462/919, Dec., 2002
12	Eicher 480	39.7	T-463/920, Dec., 2002
13	Escort Jawan (MPT)	23	T-521/1007, May, 2005
14	Escort Jawan Plus (MPT)	24.1	T-602/1105, Oct., 2007
15	Escort 335 Josh Plus	28.3	T-575/1070, Feb., 2007
16	Farmtrac Champion	33.9	T-633/1139/2008, July, 2008
17	Farmtrac 45 XT	39	T-645/1151/2008, Oct., 2008
18	Farmtrac 30 (HERO)	33.8	T-472/937, April, 2003
19	Farmtrac 35 Champion	35.8	T-483/955, Oct., 2003
20	Farmer DI 1200	9.2	T-658/1164/2009, March, 2009
21	Field Marshal FM 625 DI	9.1 Engine Power (PTO Not Provided)	T-743/1251, October, 2010
22	HMT 3522	30.6	T-296/660, 1994
23	HMT 2522	21.5	T-612/1117, January, 2008
24	HMT 2522 (OS)	21.2	T-402/822, Aug., 2000
25	HMT 3522 DX	30.6	T-569/1062, Jan., 2007
26	HMT 4022	37.2	T-347/742, Sept. 1997
27	Hindustan MG 405	39.4	T-471/936, March, 2003
28	Harig, Panther 335	30	T-725/1233/2010, July, 2010

Sl. No.	Tractor Make & Model	Max PTO Horse Power (Ps)	Budni Test Report No. and Month of release
29.	Haring, Panthor 345	39.8	T-228/1235/2010, July, 2010
30	Indo Farm 3035 DI	31.1	T-553/1082, May, 2007
31	Indo Farm 3040 DI	37.7	T-582/1081, April, 2007
32	Indo Farm 3050 DI	38.7	T-585/1085, May 2007
33	Indo Farm 2042 DI	35.8	T-651/1156/08, Nov., 2008
34	Indo Farm 2040 DI	33.3	T-429/873, February 2002
35	Indo Farm 2030 DI	27.7	T-494/970, March 2004
36	Indo Farm 2035 DI	32.0	T-493/969, March 2004
37	Indo Farm 2030 DI HS	28.6	T-720/1227, May 2010
38	Indo Farm 2035 DI DX	28.8	T-723/1230/2010, June, 2010
39	John Deere 5036 C	31.8	T-710/1217/2010, April, 2010
40	John Deere 5103 Economy	32.5	T-522/1008, May 2005
41	John Deere 5103 S Version – 2	37.0	T-518/1004, April, 2005
42	John Deere 5103 Version – 2	37.9	T-559/1051, Nov., 2006
43	John Deere 5041C	36.7	T-707/1213/2010 (Feb., 2010)
44	John Deere – 5038 D	32.3	T-673/1179/2009, June 2009
45	Kibota Japan, L-3408 DD	31.5	T-678/1184/2009, June 2009
46	Kubota Japan, B-2420	23.7	T-674/1180/2010, April 2010
47	Kubota L-4508 DD	36.9	T-712/1219/2010, April 2010
48	Mitsubishi Shakti MT180 D	16.3	T-376/782, March 1999
49	Mahindra 295 D1	35.8	T-654/1160/2009, Jan 2009
50	Mahindra Gujarat Shaktimaan–40	33.3	T-655/1161/2009 Feb. 2009
51	Mahindra Gujarat, Shaktimaan–35	29.5	T-671/1177/2009 May 2009
52	Mahindra Gujarat, Shaktimaan–45	38.4	T-659/1165/2009, March 2009
53	Mahindra 295 DI Super turbo DLX	34.1	T-660/1166/2009, April 2009
54	Mahindra Gujarat Shaktimaan–353	29.5	T-601/1104/Sept., 2007
55	Mahindra-B-275 DI (High Torque)	33.7	T-672/1178/2009, May 2009
56	MF 1035 DI Mahashakti	35.8	T-563/1056, Nov., 2006
57	MF 1035 DI	33.9	T-315/690, 1995
58	Mahindra 265 DI	32.4	T-597/1099, August 2007
59	Mahindra B-275 DI	31.7	T-300/664, 1994
60	Mahindra B-275 DI (High Torque)	33.7	T-672/1178/2009, May 2009
61	Mahindra 235 DI Air Flow	20.7	T-525/1011, June, 2005
62	Mahindra 245 DI 2 PC	23.9	T-549/1040, June, 2006
63	Mahindra 255 DI	21.9	T-390/802, Nov. 1999
64	Mahindra Sactor (Brand Shaan)	19.6	T-560/1052, Nov. 2006
65	Mahindra Arjun 445 DI	37	T-451/900, Sept. 2002
66	Mahindra 475 DI MKM New Bhoomiputra (Variant)	37.9	T-606/1111, Jan, 208

Sl. No.	Tractor Make & Model	Max PTO Horse Power (Ps)	Budni Test Report No. and Month of release
67	Mahindra 295 DI Super Turbo	36.3	T-632/1138, July, 2008
68	Mahindra Shaktimaan 30	33.9	T-637/1143/2008, Sept. 2008
69	Mahindra 475 MKM Total LT (Variant)	37.6	T-711/1218/2010, April, 2010
70	Mahindra B 275 DI MKM (Band Name Bhomiputra)	32.5	T-727/1234/2010, July, 2010
71	Mahindra 475 DI (Brand Name Bhoomiputra)	38	T-731/1238/2010, August, 2010
72	Mahindra 265 DI (Brand Name Bhoomiputra)	30.4	T-737/1244/2010, August, 2010
73	Mahindra 215 (Brand Name - Yuvraj 215)	11.9	T-721/1228/2010, May, 2010
74	Mahindra B-275 DI TU (Brand Name Bhoomiputra)	33.8	T-738/1246/2010, Sept. 2010
75	Mahindra 255 DI MKM (Band Name Bhoomiputra)	21.2	T-751/1259/2010, Dec., 2010
76	New Holland 3030	33.7	T-448/896, August, 2002
77	New Holland 3130	34.9	T-574/1069, Feb., 2007
78	New Hollnad 3037	36.5	T-648/1154/2008, Nov. 2008
79	New Holland 4010	33.9	T-685/1191/2009, August, 2009
80	New Holland 4510	38.4	T-647/1153/2008 Nov. 2008
81	New Holland 3230	38.8	T-425/859, Sept. 2001
82	New Holland 3710 (Variant)	33.9	T-706/1212/2010 (February, 2010)
83	New Holland 3510	33	T-662/1168/2009, April, 2009
84	New Holland 3032	32.4	T-704/1210/2010
85	New Holland 3032 MU	33.2	T-703/1209, January, 2010
86	New Holland 3030	33.8	T-739/1247/2010, Sept. 2010
87	Pest 5049-I	38.8	T-669/1175/2009, May, 2009
88	Preet 3549-I	33.4	T-628/1134/2008, June, 2008
89	Preet 4049 – I	38.1	T– 641/1147/, Sept., 2008
90	Powertrac 434	33.9	T– 538/1025, Dec., 2005
91	Powertrac 439	34.8	T– 541/1030, Jan., 2006
92	Powertrac 434 XL	31.4	T– 543/1032, Feb., 2006
93	Powertrac 439 XL	34.0	T– 547/1038, May, 2006
94	Powertrac 445	37.7	T– 442/888, July, 2002
95	Powertrac 445 XL	38.5	T– 578/1076, March, 2007
96	Powertrac 439 DX	33.9	T– 675/1181/2009, June, 2009
97	Powertrac 429	23.1	T– 740/1248/2010, Sept., 2010
98	Swaraj 722 Super	18.5	T– 398/818, Jan., 2000
99	Swaraj 724 FE	22.1	T– 413/840, March, 2000
100	Swaraj 733 FE (8+2 speed gear box)	29.2	T– 427/871, December, 2001
101	Swaraj 735 FE (8+2)	33.7	T– 416/843, May, 2001
102	Swaraj 834 FE	28.8	T– 505/987, October, 2004
103	Swaraj 724 FE ORCHARD	20.8	T– 609/1114/2008, Jan., 2008
104	Swaraj 724 XM	22.5	T– 686/1192/2009, August, 2009
105	Swaraj 834 XM	29.0	T– 682/1188/2009, July, 2009
106	Swaraj 843 XM	38.4	T– 679/1185/2009, June, 2009
107	Swaraj 735 XM	31.9	T– 677/1183/2009, June, 2009

Sl. No.	Tractor Make & Model	Max PTO Horse Power (Ps)	Budni Test Report No. and Month of release
108	Sonalika International DI –740	32.2	T– 412/839, March, 2001
109	Sonalika International DI –35	32.0	T– 428/872, February, 2002
110	Sonalika International DI –730 III	28.4	T– 452/901, September, 2002
111	Sonalika International DI –745 III	38.9	T– 438/883, June, 2002
112	Sonalika International DI –740 III	35.6	T– 491/967, March, 2004
113	Sonalika International DI –42 RX (Variant)	37.0	T– 702/1208/2009 (December, 2009)
114	Sonalika International DI –734	26.8	T– 653/1159/2009, Jan., 2009
115	Sonalika International DI –39 RX	33.1	T– 684/1190/2009, August, 2009
116	Sonalika International DI –35 II DS	27.8	T– 657/1163/2009, March, 2009
117	Sonalika International DI –730 II	23.9	T– 607/1112/2008, Jan., 2008
118	Sonalika International DI –30	25.8	T– 638/1144/2008, Sept., 2008
119	SAME 393	30.4	T– 431/875, March 2002
120	SAME 36 DI Euro	32.4	T– 529/1016, July 2005
121	SAME 36 DE Euro W	32.4	T-577/1074, Feb. 2007
122	SAME 403	39.2	T-510/992, Nov. 2004
123	Standard 335	29.6	T-615/1121/2008, March, 2008
124	Standard 330	27.1	T-544/1033, March, 2006
125	Standard 340	33.9	T-557/1049, Sept. 2006
126	Standard 124	16.9	T-667/1173/2009, April, 2009
127	Shaktiman MG 312	26.2	T-533/1020, Oct., 2005
128	TAFE 25 DI	24.1	T-329/713, July, 1996
129	TAFE 2750 DI	23.8	T-490/966, March, 2004
130	TAFE 30 DI Heavy Duty	30.7	T-502/979, August, 2004
131	TAFE MF 4410	37.7	T-652/1158/2009, Jan., 2009
132	TAFE, MF 1035 DI V1 (Variant)	32.9	T-693/1199/2009, October, 2009
133	TAFE, MF 1035 DI Mahashakti-V1	35.8	T-694/1200/2009, October, 2009
134	TAFE 4410 Samrat	39.2	T-465/922, Jan., 2003
135	TAFE MF 1035 DI	35.1	T-503/980, Sept. 2004
136	TAFE, MF 241 DI Planetary Drive	38.2	T-680/1186/2009, July, 2009
137	TAFE, MF 241 DI 'J' Mahashakti	37	T-683/1189/2009, July, 2009
138	TAFE 1035 DI J Mahashakti	33.7	T-591/1092, June, 2007
139	TAFE MF 7245	38.6	T-635/1141/2008, Oct., 2008
140	TAFE MF 1030 Mahashakti	30.5	T-747/1255/2010, Nov. 2010
141	Tempo Balwan 400	32.6	T-499/976, August, 2004
142	Tempo OX-25 (Orchard Special)	23.8	T-516/1002, March, 2005
143	Trishul MT-625 DI	10.6 Engine Power (PTO Not Provided)	T-758/1266/2011, March, 2011
144	Trishul MT-9.5 DI	8.7 Engine Power (PTO Not Provided)	T-475/940, May, 2003
145	Zimidara Bharat Trac 3045	35.2	T-627/1133/2008, June, 2008
146	Zimidara Bharat Trac 3035	33.9	T-626/1132/2008, June, 2008

अध्याय- 6

पावर टीलर की सूची



संख्या 13-37/2000- मशी. (कार्य एवं योजना)

भारत सरकार

कृषि एवं सहकारिता विभाग
प्रौद्योगिकी एवं यंत्रीकरण अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 19 अप्रैल, 2011

उप कृषि निदेशक (प्रसार, श्री राय)

प्रति,

1. सचिव (कृषि)
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश
2. निदेशक (कृषि)
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश
3. प्रबंध निदेशक
सभी राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम
4. निदेशक (कृषि अभियंत्रिकी)
(मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़)
5. मुख्य अभियंता (कृषि अभियंत्रिकी)
(तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं असम की सरकारें)



विषय : कृषि का वृहत-प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन नामक केन्द्रीय स्कीम में राज सहायता के लिए पात्र ट्रैक्टरों की सूची (31.03.2011 तक)

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से कृषि का वृहत-प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में राजसहायता के लिए पात्र पाए गए रीयर पावर टिलर 8 हार्स पावर एवं इससे अधिक शक्ति तक के पावर टिलर वितरित करने हेतु सूची जारी की गई थी ।

2. उपर्युक्त सूची पिछली सभी सूचियों के निरस्त करते हुए अब संशोधित (31.03.2011 तक) की गई है और इसकी एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है । पावर टिलर 8 हॉर्स पावर एवं इससे अधिक के वितरण के लिए जारी की गई दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा । निर्माता ने इस मंत्रालय को आश्वस्त किया है कि सूची अनुसार सभी 30 पावर टिलर माडल देश में उनके द्वारा नियुक्त डीलरों पर उपलब्ध है ।

संलग्न : उक्तानुसार

वितरण :

1. निदेशक सभी फार्म मशी. प्रशि. एवं परी. संस्थान
2. सम्बन्धित पावर टिलर निर्माता
3. पावर टिलर संघ ।

भवदीय


(ओम सिंह)

उप आयुक्त (मशीनरी)
दूरभाष 011-23382922

No. 13-10/99-My(I&P)
Government of India
MINISTRY OF AGRICULTURE
Department of Agriculture & Cooperation
(Mechanization & Technology Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated, the 18th April, 2011

To,

1. The Secretary (Agriculture)
(All States/UTs)
2. Director (Agriculture)
(All States/UTs)
3. Managing Director
(All State Agro Industries Corporation)
4. Director (Agricultural Engineering)
(Government of MP, TN, Chhattisgarh and WB)

Sub. : ***List of eligible tractors for subsidy under Farm Mechanisation Programme of the Centrally Sponsored "Revised Macro Management of Agriculture (MMA) Scheme" (As on 31.03.2011).***

Sir,

I am directed to invite a reference to this Department's letter of even number, dated 22nd October, 2010, vide which, the list of tractors delivering up to 40 HP (Ps) at the rear Power Take Off (PTO) shaft and found eligible for subsidy under the farm mechanisation programme of Centrally Sponsored 'Revised Macro Management of Agriculture (MMA) Scheme' was circulated.

2. The above referred list has been revised (as on 31.03.2011) and a copy of the same is enclosed for necessary action. It may kindly be noted that the distribution of tractors up to 40 PTO HP will be done in accordance with the guidelines issued by the Department. The listed tractors are available at tractor dealer points in the country, as informed by the manufacturers.

Encl. : As stated above

Yours faithfully


(Omkar Singh)

Deputy Commissioner (M&T)

Tel. : 011-23382922

e-mail : singh.omkar14@yahoo.co.in

Copy for kind information to :

1. Concerned tractor manufacturers (as per list)
2. Directors, Farm Machinery Training & Testing Institutes - Budni (M.P.), Hissar (Haryana), Garladinne (A.P.) and Biswanath Chariali (Assam)

**DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION
MACHANISATION AND TECHNOLOGY DIVISION**

**LIST OF POWER TILLERS ELIGIBLE FOR GRANT OF SUBSIDY UNDER GOVERNMENT
ASSISTED PROGRAMMES/SCHEMES (AS ON 31.03.2011)**

Sl. No.	Make & Model of Power Tiller	Max Power KW (ps)	Test Report No. & Year of release	CMVR Certificate No. & Date
1	BIRLA HARIT	8.4 (11.4)	PT-6/241, July, 2008	CMVR/PT-15/2007-08, dated 19.02.2008
2	DIVYA SHAKTI	9.1 (12.4)	PT-09/273, Dec. 2009	ICAT/ATA (term III-PT/2007-08/095 dated 27.08.2007
3	DF 15L DRAGON	10.4 (14.1)	PT-83/1055, November, 2006	CMVR/PT-18/2007-08, dated 17.03.2008
4	DRAGON SHAKTI 150 DI	11.0 (14.9)	PT-11/281, April, 2010	ATA (Bharat (Term) Stage III/PT/ELT/R/2009-2010/589, dated 24.09.2009
5	GANGA SIFANG GN-121-15	9.2 (12.5)	PT-56/831, November, 2000 n conjunction with PT-66/880, April, 2002	CMVR/PT-18/2007-08 dated 17.03.2008
6	GREAVES GS 15 DIL S	11.0 (15.0)	PT-76/995, December, 2004	CMVR/PT-14/29/2008-2009, dated 21.07.2008
7	GREAVES GS 15 DIL	11.0 (14.9)	PT-8/247 October, 2008	CMVR/PT-03/04/2008-2009 dated 10.04.2008
8	GREAVES GS 14 DL	10.1 (13.5)	PT-10/280, March, 2010 in conjunction with PT-12/294, September, 2010	CMVR/Power Tillers-23/403/2010-2011 date 19.05.2010, ATA Bharat Trm Stage III-PT/ELTTR/2009-10/26 date 22.04.2009
9	GREAVES GS 14 DLX (VARIANT)	10.1 (13.5)	PT-15/316, March, 2011	CMVR/Power Tillers-23/403/2010-2011 date 19.05.2010, ATA Bharat Trm Stage III-PT/ELTTR/2009-10/26 date 22.04.2009
10	KAMCO KMB-200	7.4 (10.1)	PT-3/225, December, 2007	CMVR/PT-21/2007-52008, dated 24.03.2008
11	KAMCO SUPER DI	8.8 (12.0)	PT-88/1075, February, 2007	CMVR/PT-19/2007-2008, dated 19.03.2008
12	KRANTI DI 1515	11.2 (15.2)	PT-85/1067, January, 2007	CMVR/PT-17/2007-2008, dated 19.03.2008
13	KAVI-DF 15L	11.0 (15.0)	PT-94/1109, December, 2007	CMVR/PT-11/26/2008-09, dated 09.07.2008
14	KAVI - GN 15L	9.2 (12.5)	PT-92/1095, July, 2007	CMVR/PT-10/25/2008-09, dated 09.07.2008
15	KISAN SAKTHI DI GN 15 L	10.8 (14.7)	PT-86/1071, February, 2007	CMVR/PT-19/48/2008-09 dated 25.11.2008

Sl. No.	Make & Model of Power Tiller	Max Power KW (ps)	Test Report No. & Year of release	CMVR Certificate No. & Date
16	MANAM MCF-121	8.5 (11.6)	PT-01/206, May, 2007	CMVR/PT-13/28/2008-09 dated 17.07.2008
17	MITSUBISHI SHAKTI CT 85 WITH VWH 120 ENGINE	6.6 (9.0)	PT-40/549 Dec. 1989 in conjunction with PT-61/852, July, 2001	CMVR/PT-04/08/2008-09 dated 13.05.2008
18	RHINO 15 DI	10.7 (14.5)	PT-7/246 October, 2008	CMVR/PT-18/43/2008-09 dated 29.09.2008
19	SAMRAT GN 121	11.5 (15.6)	PT-93/1103, September, 2007	CMVR/PT-05/092/2008-09, dated 15.05.2008
20	SHRACHI SF 15 DI	11.1 (15.1)	PT-84/1066, January 2007	CMVR/PT-06/10/2008-09 dated 22.05.2008
21	SHRACHI KUBOTA DF 12L	8.7 (11.8)	PT-89/1077, March, 2007	CMVR/PT-09/21/2008-09, dated 23.06.2008
22	SHRACHI SF-12	8.9 (11.8)	PT-53/813, March, 2000	CMVR/PT-08/20/2008-09, dated 23.06.2008
23	SHIFENG ANGAD 150 PT	8.8 (12.0)	PT-81/1034, March, 2006 in conjunction with PT-95/1119, March, 2008	CMVR/PT-15/36/200/-09 dated 23.06.2008
24	SOHARR GN-121 15 DI	10.7 (14.6)	PT-4/228 January, 2008	CMVR/PT-20/67/2008-09 dated 03.03.2009
25	SOUZA SIFANG GN 121 (15) FITTED WITH ZHEJIANG SIFANG ZS 1100 AN DIESEL ENGINE)	10.7 (14.6)	PT-80/1013, July, 2005	CMVR/PT/07/18/2008-09 dated 16.06.2008
26	SUN GN 151 DI	10.5 (14.3)	PT-91/1085, May, 2007	CMVR/PT-16/39/2008-09 dated 18.08.2008
27	TEXMACO DHANWAN	7.5 (10.2)	PT-63/860, September, 2001	CMVR/PT-16/2007-08, dated 03.03.2008
28	VIJAY VR-15L	10.2 (13.9)	PT-05/233, May, 2008	CMVR/PT-12/27/2008-09 dated 16.07.2008
29	VST SHAKTI 130 DI	9.0 (12.2)	PT-43/736 June, 1997 in conjunction with PT-62/853 July, 2001	CMVR/PT-20/2007-08, dated 24.03.2008
30	YANMAR SHAKTI GN 121 DI	7.8 (10.6)	PT-14/310, March, 2011	CMVR Certificate not required due to power tiller not recommended for haulage purpose (Reference letter No RT-11011/12/2005-MVL, dated 24.05.2010 from Mny. of Road Transport & Highways)